पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, पटना-800001

पटना कारपोरेशन

सशक्त स्थायी समिति की छठी साधारण बैठक की कार्यवाही

दिनांक :- 12.09.2023

समय :- 12:30 बजे अपराह्न

स्थान :- महापौर कार्यालय कक्ष, मौर्यालोक कम्पलेक्स, पटना।

अनिमेष कुमार पराशर, भा०प्र०से०
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

रेशमी कुमारी
उप महापौर
पटना नगर निगम

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

BEC M.V- 120-117/23

दिनांक-12.09.2023 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की छठी साधारण बैठक माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निम्नांकित माननीया/माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया, जिसकी उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

1. श्रीमती सीता साहू - महापौर, पटना नगर निगम।
2. श्रीमती रेशमी कुमारी - उप-महापौर, पटना नगर निगम।
3. श्रीमती रंजना राय - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
4. श्रीमती कान्ति देवी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
5. श्रीमती कावेरी सिंह - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
6. श्री आशीष कुमार सिन्हा - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
7. श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
8. श्री मनोज कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
9. श्री विनोद कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।

निगम प्रशासन

1. श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा॰प्र॰से॰ - नगर आयुक्त, प॰न॰नि॰
2. श्री शैलेन्द्र शुक्ला - संयुक्त नगर आयुक्त -सह- नगर सचिव
3. श्री मुकेश प्रसाद सिंह - निदेशक, शहरी योजना
4. श्री सुरेन्द्र कु॰ सिन्हा - मुख्य नगर अभियंता
5. श्री विजय कुमार - कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय
6. श्री अनिल कुमार - कार्य॰ अभियंता, बाँकीपुर अंचल
7. श्री बसन्त कुमार दुबे - कार्यपालक अभियंता, विद्युत
8. श्री सुभाष चन्द्र मौर्य - कार्य॰ अभियंता, कंकड़बाग अंचल
9. श्री अवधेश कुमार सिंह - निजी सहायक
10. श्री विकास मोदी - निजी सहायक

सीता साहू

महापौर

अध्यक्ष :- बैठक में उपस्थित उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत करती हूँ।

नगर आयुक्त :- माननीया महापौर की अनुमति से बैठक की कार्रवाई शुरू की जाती है। नगर सचिव, कार्यसूची को पढ़ें।

नगर सचिव :- बैठक में उपस्थित माननीया महापौर, माननीया उप-महापौर, माननीय सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य, आदरणीय नगर आयुक्त एवं बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत है।

मद संख्या-01 :- **दिनांक-11.08.2023 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की पाँचवीं साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**

अध्यक्ष :- कार्यवाही सम्पुष्टि का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ, कार्यवाही को सम्पुष्ट करें।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीय अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट करें।

प्रस्ताव संख्या-102 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-11.08.2023 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की पाँचवीं साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।**

मद संख्या-02 :- **वर्तमान निगम पर्षद एवं सशक्त स्थायी समिति में लिये गये निर्णय के अनुपालन का स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- सशक्त स्थायी समिति एवं निगम पर्षद में लिये गये निर्णय के अनुपालन का विषय है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर सचिव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सशक्त स्थायी समिति एवं निगम पर्षद से लिये गये निर्णय /प्रस्तावों का अनुपालन प्रतिवेदन- स्थापना शाखा, सामान्य शाखा-1, सफाई शाखा, लेखा शाखा, अभियंत्रण शाखा से अनुपालन प्रतिवेदन की सूची प्राप्त हुई, जिसकी प्रति सदस्यों को वितरित की गयी है।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हुए है। उसमें निश्चित रूप से काफी त्रुटियाँ है। इसमें सुधार कर अगली बैठक में रखें।

मद संख्या-03 :- **पटना नगर निगम में कार्यरत सभी आउटसोर्स एजेंसियाँ जिनकी अनुबंध अवधि समाप्त हो रही है, उनके स्थान पर नये एजेंसियों के चयन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- नई एजेंसियों के चयन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि निगम में जो एजेंसी कार्यरत है उनका अवधि विस्तार मात्र 03 माह के लिए दिया जाय एवं 03 माह के अन्दर नई एजेंसी के चयन हेतु सारी कार्रवाई पूरी कर ली जाय।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम में विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न एजेंसियाँ कार्यरत हैं। इनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है। इसकी जानकारी हमें नहीं है और संलेख में भी अंकित नहीं है। हम एजेंसियों के बोझ के तले दब गए हैं। निगम प्रशासन हमारे यहाँ ज्यादातर समय एजेंसियों के नियंत्रण में देते हैं, जिससे ज्यादा समय बर्बाद होता है। आज निगम में आधा दर्जन से ज्यादा एजेंसियाँ कार्यरत हैं। मेरा सुझाव है कि निगम में एजेंसियों की संख्या कम की जाय। निगम ने एक एजेंसी को सारा कार्य दिया जाय ताकि उसे नियंत्रण में रखा जा सके।

नगर आयुक्त :- निगम में सी०ए० टीम, पी०डी०एम०सी०, आई०ई०सी० एवं आर०ए०टीम भिन्न-भिन्न क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। निगम की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने के लिए एजेंसी को रखा गया है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम में कार्यरत सभी एजेंसियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो अब हमें नई एजेंसी का चयन करना चाहिए। बार-बार एक ही एजेंसी को अवधि विस्तार करना नियमतः ठीक नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि जो एजेंसियाँ अभी निगम में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं उन्हें दो माह का समय बढ़ा दिया जाय और नई एजेंसी के चयन हेतु निविदा निकाला जाय। निगम में कुछ ऐसी एजेंसियाँ कार्यरत हैं जो एकरारनामा के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। ऐसी एजेंसियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। मानव बल आपूर्ति एजेंसी समय पर कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं करते हैं।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एजेंसी का एकरारनामा जब तक है, इसका संलेख में उल्लेख नहीं है। I.E.C. एजेंसी को एकरारनामा के अनुसार 150 कर्मचारी रखना था जो उनके द्वारा नहीं रखा गया।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम में कार्यरत एजेंसियों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इन एजेंसियों के कारण अजीमाबाद अंचल के माननीय पार्षद अंचल कार्यालय में धरना पर बैठे हैं। समस्या यह है कि निगम में कचरा उठाने के लिए डोर-टू-डोर एवं ओपन टीपर गाड़ी नहीं है। आज 75 वार्डों में कहीं-कहीं ओपन टीपर चल रहा है लेकिन पटना सिटी अंचल में एक भी नहीं है।

नगर आयुक्त :- पूर्व में गाड़ियों की मरम्मति के लिए कर्मशाला खोलने का निर्णय हो चुका है। जिसके तहत एक मेकैनिक को गाड़ी मरम्मति हेतु रखा गया है और वह अच्छा काम कर रहा है।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वाहन मरम्मति हेतु जो मेकैनिक रखे गए हैं उन्हें सामान्य सामग्री, पार्ट-पुर्जा मुहैया नहीं कराया जाता है।

प्रस्ताव संख्या-103 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निगम में कार्यरत एजेंसियाँ जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है या समाप्त होने जा रहा है, उन सभी एजेंसियों का कार्यकाल अवधि समाप्ति की तिथि से 03 माह की अवधि तक विस्तार करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा अगले तीन माह के अन्दर नई एजेंसियों के चयन संबंधी सभी प्रक्रिया हर हाल में पूरा करने का निर्णय लिया जाता है।

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-04 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत गंगा घाटों की मशीन द्वारा सफाई के संबंध में।**

अध्यक्ष :- गंगा घाटों का मशीन द्वारा सफाई का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आम नागरिकों एवं स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित है। इस कार्य से निगम की छवि बदलेगी। संलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि स्वच्छाग्रियों के तहत UNICEF द्वारा गंगा घाटों की मशीनीकृत सफाई हेतु 50 अदद हाई प्रेशर वाशर एवं अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इस मशीन से पक्का घाटों की सफाई होने से निगम के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पार्षद की बातों से सहमत हूँ। गंगा घाटों के सफाई के लिए यह जरूरी उपकरण है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप महापौर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घाटों की मशीन द्वारा सफाई होने पर प्रातः भ्रमण करने वाले लोगों को साफ-सुथरा वातावरण उपलब्ध कराने में हम सफल होंगे। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 104 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत गंगा घाटों का मशीन द्वारा सफाई करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-05 :- **पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कदमकुआँ वेंडिंग जोन के निर्माण कार्य के प्रगति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- कदमकुआँ वेंडिंग जोन के निर्माण कार्य के प्रगति से संबंधित विषय है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के बांकीपुर प्रमण्डल के अंतर्गत कदमकुआँ वेन्डिंग जोन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यहीं एक आदेश ही

पटना नगर निगम

महत्वाकांक्षी एवं अत्याधुनिक सुविधा से सम्पन्न अत्याधुनिक वेन्डिंग जोन बनाने का प्रस्ताव है। यह एक दो मंजिला संरचना होगी, जिसकी प्रत्येक तल क्षेत्रफल 1100 वर्ग फीट है एवं इसमें लगभग 200 वेन्डरों को स्थान दिया जाना है।

वर्णित वेन्डिंग जोन की प्रशासनिक स्वीकृति रू०— 411.31 लाख के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना से प्राप्त की गई है। इस कार्य का एकरारनामा दिनांक— 20.08.2019 को कुल— 3,00,67,156.00 के लिए किया गया। अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के पत्रांक— 326 दिनांक— 11.06.2021 के दो करोड़ से अधिक की निविदा को सक्षम प्राधिकार से निष्पादन नहीं होने के कारण उक्त योजना को रद्द कर दिया गया। निदेश के आलोक में मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम के पत्रांक— 07885, दिनांक— 19.06.2021 के द्वारा वर्णित योजना को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

वर्णित कार्य को शीघ्रता पूर्ण कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में डॉ० आशीष कुमार सिन्हा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य CWJC वाद संख्या— 9292/2021 दायर की गई है। मामले की सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय ने नगर विकास एवं आवास विभाग एवं पटना नगर निगम को शीघ्रता शीघ्र कार्य पूर्ण कराने हेतु न्यायादेश पारित किया है। वर्णित कार्य को माननीय उच्च न्यायालय ने 24 माह में पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है। न्यायादेश के आलोक में कार्य की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा कुल राशि 598.704 लाख की प्रदान कर कुल 02 करोड़ की राशि निगम को आवंटित किया गया है।

कार्य कराने के दौरान प्रमंडल को ज्ञात हुआ कि स्वीकृत प्राक्कलन में नक्शे में प्रावधानित Hollow Steel Section Work का प्रावधान में छूटा हुआ है। तदनुसार पुनः इस प्राक्कलन का पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन विभाग से रू०— 08,03,37,600.00 के लिए प्राप्त किया गया है। कार्यपालक अभियंता, बांकीपुर प्रमंडल द्वारा सूचित किया गया है कि वर्णित कार्य रू०— 7,95,90,000.00 में पूर्ण कराया जा सकता है, तदनुसार वर्णित राशि के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं कुल राशि रू०— 2,06,46,100.00 मात्र का वित्तीय स्वीकृति पटना नगर निगम से प्राप्त की जाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा वर्णित कार्य की नियमित समीक्षा की जा रही है। दिनांक— 19.06.2023 को आहूत सुनवाई में पटना नगर निगम के द्वारा वर्णित संरचना को पूर्ण करने हेतु छः माह का समय मांगा गया है। वर्णित वाद की अगली सुनवाई दिनांक— 22.09.2023 को प्रस्तावित है।

प्रस्तावित वेन्डिंग जोन के संरचना के लिए फाउन्डेशन एवं Plinth Level तक निर्माण करा लिया गया है। प्रस्तावित स्थान में Super Structure का कार्य कराया जा रहा है। संरचना में प्रयुक्त होने वाले Hollow Steel Section निर्माण स्थल पर Mobilize कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्रगति में है।

महापौर
पटना नगर निगम

अतः पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कदमकुआँ वेण्डिंग जोन के निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदया, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा इस योजना की निगरानी की जा रही है। न्यायालय द्वारा लगातार आदेश/निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। निगम प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए शीघ्र योजना को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

उप महापौर :- माननीय अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव फुटपाथी दुकानदारों / वेण्डरों के हित में है। इस तरह का वेण्डिंग जोन निगम के अन्य क्षेत्रों में भी बनना चाहिए। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं०- 105 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कदमकुआँ वेंडिंग जोन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु विभाग द्वारा प्राक्कलन का पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन रु० 09,03,37,600/-(नौ करोड़ तीन लाख सैंतीस हजार छः सौ) रु० की स्वीकृति प्राप्त है। कार्यपालक अभियंता, बाँकीपुर प्रमंडल के अनुसार वर्णित कार्य 07,95,16,000/-(सात करोड़ पंचानवें लाख सोलह हजार) रु० से पूर्ण कराया जा सकता है। तदनुसार वर्णित राशि 07,95,16,000/-(सात करोड़ पंचानवें लाख सोलह हजार) रु० की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं कुल राशि 02,06,46,100/-(दो करोड़ छः लाख छियालिस हजार एक सौ) रु० मात्र की वित्तीय स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति से प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-06 :- **वर्ष 2020 से जिन संवेदकों द्वारा निविदा में भाग लिया गया एवं कार्य आवंटन के बाद कार्य नहीं करने पर निविदा को रद्द करने के संबंध में।**

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, कैम्प लगाकर ऐसे निविदा को रद्द करने की कार्रवाई करें जो निविदा लेने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। यह कार्य शीघ्र पूरी कर सूचित करें।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सब कारणों से अभियंत्रण योजना का कार्य लम्बित है। जिसका खामियाजा पार्षदों को भुगतना पड़ता है। यह प्रस्ताव जनहित में है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- अध्यक्ष महोदय, संवेदक द्वारा निविदा ले लिया जाता है और वर्षों तक कार्य शुरू नहीं करते हैं। ऐसे संवेदकों की निविदा रद्द होनी चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं०- 106:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020 से जिन संवेदकों द्वारा निविदा में भाग लिया गया एवं कार्य आवंटन के बाद कार्य नहीं करने पर कैम्प लगाकर निविदा को रद्द करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-07 :- **पटना नगर निगम के निविदा में हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता के संबंध में।**

अध्यक्ष :- निविदा में हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता से संबंधित विषय है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रमंडलों एवं मुख्यालय की निविदा E-Proc-2.0 के माध्यम से आमंत्रित एवं निष्पादित की जाती है। E-Proc-2.0 में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप अग्रधन के रूप में Online Bank Transfer एवं बैंक गारंटी स्वीकार किए जाते हैं। बैंक गारंटी जमा करने की स्थिति में इसकी हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता है। पूर्व में निविदाओं के Uploaded सभी दस्तावेज–पत्र, अग्रधन के रूप में जमा किए गए राशि की हार्ड कॉपी भी निविदा के साथ जमा करने की अनिवार्यता थी। पटना नगर निगम के पत्रांक- 3026 दिनांक- 11.04.

महापौर
पटना नगर निगम

2022 के द्वारा बैंक गारंटी को छोड़कर अन्य प्रपत्रों की Hard Copy जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की छठी साधारण बैठक की कार्यसूची में वर्णित अनिवार्यता के लिए विमर्श हेतु संलेख उपस्थापित करने का निदेश प्राप्त है। तदनुसार इस बैठक में अनिवार्यता बहाल/रद्द करने की स्वीकृति का निर्णय लेने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्तुत संलेख के अवलोकन से पता चलता है कि पूर्व में निविदाओं के अपलोड सभी शपथ पत्र, आवेदन के प्रपत्रों की हार्ड कॉपी भी निविदा के साथ जमा करने की अनिवार्यता थी। प्रशासनिक पत्रांक 5023, दिनांक 11.04.2022 के माध्यम से हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता को रद्द कर दिया गया था जो अव्यवहारिक है। इस तरह का निर्णय सशक्त स्थायी समिति की सहमति से लिया जाना श्रेयस्कर होता। इसका लाभ उठाकर संवेदक पेपर को टेम्पर कर एवं गलत दस्तावेज लगाकर निविदा में भाग ले लेते हैं। हम इस दस्तावेज की जाँच सत्यापन नहीं कर पाते हैं। ऐसे कार्यों पर रोक लगाने के लिए निविदा में हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाय। माननीय सदस्यों से चाहूँगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करें।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निविदा में संवेदक के द्वारा फर्जी कागजात Online डाला जाता है। माननीय सदस्य का प्रस्ताव एवं सुझाव निगमहित में है, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- संवेदक गलत तरीके से निविदा ले लेते हैं। इसलिए निविदा के साथ हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाय। मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम में कुछ ऐसे संवेदक हैं, जो हर प्रमंडल में सभी निविदा में अपने निविदा डालते हैं। क्या इस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। निविदा में अपलोड सभी शपथ पत्र, आवेदन के प्रपत्रों एवं अन्य दस्तावेजों की सत्यता को जाँचने के लिए निविदा के हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इसे पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर मुख्य अभियंता :- एक संवेदक एक ग्रुप में चार निविदा डाल सकते हैं। उससे अधिक डालने पर रद्द किया जायेगा।

नगर आयुक्त :- नगर मुख्य अभियंता, निविदा का विषय देख लें। जो संवेदक निविदा लेने के बाद कार्य नहीं करते हैं तो उनकी निविदा रद्द कर दें। वार्ड संख्या-14 में संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने पर निविदा को रद्द कर दिया गया है। उसी तरह वार्ड संख्या-30 की योजना को संवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसे भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निविदा में भाग लेने के लिए संवेदक द्वारा जो अग्रधन जमा किया जाता है निविदा नहीं मिलने पर लौट जाना चाहिए। लेकिन बाँकीपुर अंचल के गंगा प्रमंडल में अग्रधन की राशि को दूसरे मद में खर्च कर देते हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

नगर आयुक्त :- Engineering Manual में स्पष्ट निर्देश है कि जिस टेंडर की निविदा का पास नहीं हुआ है, उसको राशि लौटा दी जाती है।

नगर मुख्य अभियंता :- State Manual में अग्रधन को 02 वर्ष तक रखने का प्रावधान है। स्मार्ट सिटी में 05 वर्ष तक है। 15 लाख तक के लिए एक वर्ष एवं 15 लाख से ऊपर के लिए 02 वर्ष तक।

नगर आयुक्त :- अग्रधन की राशि दूसरी योजना मद में खर्च करना उचित नहीं है, State Manual के अनुसार अग्रधन 02 वर्ष तक रखने का प्रावधान है। इसको मेन्टेन कर अपनी बैंक में रखें।

प्रस्ताव संख्या -107 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-11.04.2022 के पत्रांक-8025 द्वारा हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता समाप्त करने संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए पूर्व की भांति निविदा में हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-08 :- पटना नगर निगम अन्तर्गत निर्मित शौचालय के रख-रखाव की समीक्षा।

अध्यक्ष :- शौचालय के रख-रखाव की समीक्षा का विषय है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के अन्तर्गत सुलभ इन्टर नेशनल द्वारा कुल 48 स्थानों पर 157 शौचालय का रख-रखाव किया जा रहा है। उसका कार्य संतोषप्रद है। एकरारनामा के अनुसार उसकी अवधि 27.12.2023 तक है। पुनः शौचालय के रख-रखाव के निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शौचालय का रख-रखाव कुछ ऐसी कम्पनियों के द्वारा किया जा रहा है। जो पूर्व में ब्लैक लिस्ट की गई है, फिर भी उन्हें शौचालय के रख-रखाव हेतु क्यों दिया गया है? इन कम्पनियों ने निगम को क्षति पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

कुछ ऐसी भी एजेंसियाँ हैं जो उन्हीं शौचालयों का देख रेख कर रही हैं जहाँ से उन्हें अधिक आय प्राप्त हो रही है। हमारे वार्ड संख्या-48 में दो शौचालय हैं, जिसकी देख-रेख करने के लिए कोई आता नहीं है। 157 शौचालय में से 50 से अधिक की हालत कुछ इसी तरह है।

नगर मुख्य अभियन्ता :- पटना नगर निगम में महेन्द्रू एवं बाँस घाट पर नये सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। इसका रख-रखाव किसी एजेंसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। रख रखाव नहीं होने के कारण संसाधनों की चोरी होने की आशंका के कारण इसे बंद रखा गया है। उसके रख-रखाव के जिम्मा भी किसी को दिया जाना चाहिए।

नगर आयुक्त :- स्वच्छाग्रहियों के कर्मचारियों के द्वारा शौचालय का रख-रखाव कराया जा सकता है। इसके लिए उन्हें गाड़ी उपलब्ध करानी होगी।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना नगर निगम में 75 वार्ड हैं, फॉगिंग के लिए जिस गाड़ी का क्रय किया गया है उन्हीं में से कुछ गाड़ियों को शौचालय के रख-रखाव में उपयोग किया जाय।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि निगम स्तर पर शौचालय के रख-रखाव की व्यवस्था की जाय। सुलभ इन्टर नेशनल को जिन शौचालयों के रख-रखाव का जिम्मा दिया गया है। उसे छोड़कर शेष शौचालय का रख-रखाव स्वच्छाग्रहियों के माध्यम से किया जाय। तब

महापौर
पटना नगर निगम

एजेंसियों को लूट का मौका न दें। एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति का दोहन हो रहा है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध होगा कि अगली बैठक में एजेंसियों द्वारा 157 शौचालयों की रख-रखाव में खर्च एवं आय का ब्योरा प्रस्तुत किया जाय। इस व्यवस्था से निगम को क्या राजस्व प्राप्त हो रहे हैं उसकी समीक्षा की आवश्यकता है। मेरा सुझाव होगा कि सभी सार्वजनिक शौचालय को शहरवासियों के लिए निःशुल्क कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, सुलभ इन्टरनेशनल के द्वारा 157 शौचालयों के रख रखाव संबंधित एकरारनामा 27 दिसम्बर 2023 को समाप्त हो रही है। इसके पूर्व इसके संचालन संबंधी निर्णय लेना आवश्यक है।

नगर आयुक्त :- यह अच्छा प्रस्ताव है, जीविका एवं लोहिया शौचालय का रख-रखाव स्वावलंबिनी के माध्यम से कराया जाय।

श्रीमती कान्ति देवी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट अधिष्ठापन की योजना को शीघ्र पूर्ण कराया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगा नदी के किनारे कलेक्टेरियट घाट से राज घाट तक कुल 12 शौचालयों का रख-रखाव सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है जिसकी अवधि अप्रैल,2023 में समाप्त हो गई है। इसकी भी अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनहित का प्रस्ताव है इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 108:- (क) सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम अन्तर्गत निर्मित शौचालयों के रख-रखाव की अद्यतन सूची अगली बैठक में रखी जाय।

(ख) एजेंसियों से Revenue Sharing के आधार पर निगम को प्राप्त राजस्व की विस्तृत विवरणी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(हस्ताक्षर)
महापौर
पटना नगर निगम

(ग) लोदीपुर और बाँस घाट स्थित शौचालयों को स्वच्छाग्रिनी के माध्यम से रख-रखाव कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(घ) 27 दिसम्बर, 2023 तक नये एजेंसियों के चयन संबंधी सारी प्रक्रिया पूर्ण करने की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की जाती है।

(ड.) गंगा नदी के किनारे कलेक्ट्रिएट घाट से राजा घाट तक स्थित सभी शौचालयों के रख-रखाव कार्य हेतु पूर्व से कार्यरत एजेंसी सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अगले छः माह तक अवधि विस्तार के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-(09,10,11,12 एवं अ.म.सं.-12) :- हाई यील्ड बोरिंग अधिष्ठापन के संबंध में।

अध्यक्ष :- हाई यील्ड बोरिंग अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- विभिन्न वार्डों में हाई यील्ड बोरिंग अधिष्ठापन के लिए प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। इस योजना पर खर्च होने वाली राशि का वहन राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि में से 30 प्रतिशत जलापूर्ति मद की राशि से की जायेगी। सूची निम्नवत् है :-

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि(रू0)
01	Construction of High Yeild Tube well at keshri nagar ward no-07	97,09,500.00
02	Construction of High Yeild Tube well at Kaushal nagar ward no-09	95,67,000.00
03	Construction of High Yeild Tube well at Bataara Pul, under Bear, at ward no-11	97,09,500.00
04	Construction of High Yeild Tube well at Near old Pani Tanki Khajekalan at ward no-65	97,09,500.00
05	Construction of High Yeild Tube well at Mal ki Kachahari at ward no-67	97,09,500.00

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पेय जल की समस्या को देखते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0- 109:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम अन्तर्गत वार्ड संख्या-07,09,11,65 एवं 67 में High Yeild Tube Well अधिष्ठापन के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, इस योजना पर राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि में से 30 प्रतिशत जलापूर्ति मद की राशि से की जायेगी, जो निम्नवत् है :-

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0)
01	Construction of High Yeild Tube well at keshri nagar ward no-07	97,09,500.00
02	Construction of High Yeild Tube well at Kaushal nagar ward no-09	95,67,000.00
03	Construction of High Yeild Tube well at Bataura Pul, under Beur, at ward no-11	97,09,500.00
04	Construction of High Yeild Tube well at Near old Pani Tanki Khajekalan at ward no-65	97,09,500.00
05	Construction of High Yeild Tube well at Mal ki Kachahari at ward no-67	97,09,500.00

मद संख्या-13 :- प्रत्येक वार्ड में 40 लाख रू0 से End to End Pavement लगाने के संबंध में।

अध्यक्ष :- End to End Pavement लगाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक वार्ड में माननीय वार्ड पार्षद की अनुशंसा पर एक करोड़ रुपये तक सड़क एवं नाला निर्माण कराने हेतु योजना चयन किया जाएगा एवं योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा। इसी क्रम में प्रत्येक वार्ड में 40 लाख रुपये से End to End Pavement कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस 40 लाख रुपये से केवल पथ निर्माण End to End Pavement का कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में पथ निर्माण एवं दोनों ओर पेवर ब्लॉक का कार्य या सिर्फ पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य ही कराये जाएँगे। सभी 75 वार्डों में वर्णित कार्य हेतु कुल 30 करोड़ रुपये व्यय होंगे, इस योजना को Pollution मद की राशि से किया जायेगा। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित में है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, अपने सभी पार्षदों को पिछले बजट सत्र में एक करोड़ रू0 देने का वादा किया था। जिसका बजट में

महापौर
पटना नगर निगम

प्रावधान किया गया है। इससे माननीय पार्षद अपने-अपने वार्ड में नाली-गली योजना को चयन कर जन आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती प्रतिभा राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 110:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वार्ड में 40 लाख रू0 से End to End Pavement लगाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित की जाती है। इन योजनाओं पर खर्च होने वाली कुल तीस करोड़ की राशि का वहन 15वें वित्त (प्रदूषण मद) से की जायेगी।

मद संख्या-14 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक वार्ड में छठे वित्त आयोग मद से 60 लाख रू0 से नाली-गली के निर्माण।

अध्यक्ष :- प्रत्येक वार्ड में छठे वित्त आयोग मद से 60 लाख रू0 से नाली-गली के निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के सभी 75 वार्डों में नाली गली निर्माण का कार्य कराया जाना है जिस पर प्रति वार्ड 60 लाख रू0 की दर से 41 करोड़ रू0 व्यय होने का अनुमान है, जिसपर विचार: स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। इस राशि का व्यय षष्ठम राज्य वित्त आयोग मद से किया जाएगा।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनहित का प्रस्ताव है। इसे पारित किया जाय। इस योजना से छूटे हुए कार्यों को पूरा किया जाएगा।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें हम 06 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों/नालों का निर्माण तथा बिटुमिन सड़क, पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण करा सकते हैं। इसे पारित किया जाय।

श्री [illegible] :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0- 111:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक वार्ड में 60 लाख रू0 से नाली-गली निर्माण करने की योजना जिस पर होने वाले कुल व्यय 45 करोड़ रू0 छठा वित्त आयोग के मद से व्यय करने की स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

मद संख्या-15 :- दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वार्ड में 100-100 स्ट्रीट लाईट उपलब्ध कराने के संबंध में।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी वार्डों में प्रमुख त्योहार स्थानों, सड़कों तथा मुख्य मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर की जाती है। स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग एवं आन्तरिक संसाधन मद की राशि से की जाएगी। लाईट की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इस योजना पर निर्णय एवं स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा सुझाव है कि लाईट लगाने और उसका रख-रखाव EESL के माध्यम से कराई जाय।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित में है। इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, पूरे वार्ड में कितने लाईट खराब हैं उसकी गिनती करा रहे हैं। गुरू पर्व के पूर्व लाईटों की मरम्मति हो जानी चाहिए।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदया, जलापूर्ति शाखा में कर्मचारियों की कमी है। जलापूर्ति की समस्या एवं लिकेज आदि को देखते हुए कर्मी को बढ़ाया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

मेरा सुझाव है कि 75 पार्षदों को अपने-अपने वार्ड में कार्य कराने के लिए राशि आवंटित की जा रही है। सभी वार्ड के लिए माननीय पार्षदों को एक करोड़ की योजना करने के लिए छठें राज्य वित्त एवं 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग से राशि उपलब्ध करायी जाती है। लेकिन माननीया महापौर एवं माननीया उप महापौर उद्घाटन एवं अन्य कार्यों में क्षेत्र में जाते हैं। वहाँ उपस्थित नागरिकों के द्वारा नाली-गली एवं सड़क बनाने हेतु अनुरोध किया जाता है। सब पार्षदों को राशि आवंटित होता है लेकिन माननीया महापौर एवं माननीया उप-महापौर के लिए कोई राशि आवंटित नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि माननीया महापौर के लिए 5 करोड़ एवं माननीया उप-महापौर के लिए 2.50 करोड़ रु0 उपलब्ध किया जाय। इससे संबंधित प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाए।

नगर आयुक्त :- माननीया महापौर /माननीया उप महापौर को निगम क्षेत्र में कार्य योजना हेतु राशि की सीमा में बाँधना उचित नहीं है। माननीया महापौर /माननीया उप-महापौर नगर निगम के जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है और उनका क्षेत्र चार विधान सभा एवं दो लोक सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है। माननीया महापौर, माननीया उप-महापौर, माननीय सशक्त स्थायी समिति के सदस्यगण योजनाओं के चयन के लिए स्वतंत्र है। आपके अधिकारों को राशि की सीमा में बाँधा जाना उचित नहीं है।

श्री विनोद कुमार :- नगर आयुक्त महोदय, माननीया महापौर /माननीया उप-महापौर किसी कार्यक्रम, आयोजन एवं अन्य कार्यों से क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के जनता इनसे काम की अपेक्षा रखती है। निःसंदेह इन्हें किसी सीमा में नहीं बाँधा जा सकता है। परन्तु माननीय सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद को जिस तरह 5 करोड़ एवं 03 करोड़ रु0 विकास मद के लिए दिया जाता है, उसी प्रकार माननीया महापौर एवं माननीया उप-महापौर को भी दिया जाय।

प्रस्ताव सं0- 112- (क) सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वार्ड में 100-100 स्ट्रीट लाईट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

(ख) लाईट का क्रय EESL से किया जायेगा एवं लाईट के रख-रखाव की जिम्मेवारी EESL कम्पनी की होगी।

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-16 :- **जलापूर्ति शाखा के योजनाओं की प्रगति की समीक्षा।**

अध्यक्ष :- इस आशय का संलेख नहीं है।

नगर आयुक्त :- कार्यपालक अभियंता, जलापूर्ति शाखा जलापूर्ति योजना की समीक्षा के लिए विस्तृत विवरण अगली बैठक में रखें।

मद संख्या-17 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर ठंढ के मौसम में आश्रयविहीनों हेतु निर्माण कराये जाने वाले अस्थायी आश्रय स्थल/रैन बसेरा के स्थान पर pre fab / कुशल तकनीक से निर्माण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- अस्थायी आश्रय स्थल/रैन बसेरा के निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के शहरी निराश्रितों के लिए आश्रय स्थल /रैन बसेरा घटक के तहत पटना नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में ठंढ के मौसम में बचाव के लिए आश्रयविहीनों हेतु निर्माण कराये जाने वाले अस्थायी आश्रय स्थल/रैन बसेरा के स्थान पर pre fab / कुशल तकनीक से मूलभूत सुविधाओं के साथ निर्माण किया जाना है।

उक्त रैन बसेरा नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-3730, दिनांक-05.08.2023 के आलोक में पटना नगर निगम के विभिन्न स्थलों पर 20 अदद आश्रय स्थल /रैन बसेरा का निर्माण German hanger तकनीक से बनाने का प्रस्ताव है। जिस पर 6,18,93,300/- रू0 व्यय होने का अनुमान है। जिसकी स्वीकृति/निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। जिसका विवरण निम्न है :

क्र0	Temporary Night Shelter	Size (Per Unit)	Amount (Per Unit) (Rs)	No. of Unit	Total Amount (Rs)
1	Projected German Hanger for Night Shelter	25'x50'	40,60,470.00	5	2,03,02,350.00
2	Projected German Hanger for Night Shelter	20'x32'	27,72,730.00	15	4,15,90,950.00
				कुल राशि :	6,18,93,300.00

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी निराश्रितों के लिए आश्रय स्थल/रैन बसेरा बनाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव जनहित में है। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती शान्ति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित में है। इसे पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0- 113:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर ठंढ के मौसम में आश्रयविहीनों हेतु German Hanger तकनीक से अस्थायी आश्रय स्थल/रैन बसेरा के निर्माण कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	Temporary Night Shelter	Size (Per Unit)	Amount (Per Unit) (Rs)	No. of Unit	Total Amount(Rs)
1	Proposed German Hanger for Night Shelter	25'x50'	40,60,470.00	5	2,03,02,350.00
2	Proposed German Hanger for Night Shelter	20'x32'	27,73,730.00	15	4,15,95,950.00
				कुल राशि :-	6,18,98,300.00

मद संख्या-18 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 03 स्थलों पर स्थायी आश्रय स्थल/रैन बसेरा का निर्माण के संबंध में।

अध्यक्ष :- 03 स्थलों पर स्थायी आश्रय स्थल/रैन बसेरा निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के शहरी निराश्रितों के लिए आश्रय स्थल (रैन बसेरा) पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आश्रयविहीनों के लिए स्थायी आश्रय स्थल का निर्माण कराने का प्रस्ताव है, जहाँ सभी मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना में नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 1820, दिनांक 25.04.2023 के माध्यम से पटना नगर निगम क्षेत्र के 03 स्थलों पर जी +2 आश्रय स्थल के निर्माण हेतु निर्णय स्वीकृति के लिए सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0	स्थान	स्वामित्व	स्वीकृति की राशि (रु0)	अभ्युक्ति
1	NIT मोड़	पटना नगर निगम	1,15,46,418.00	पूर्व से स्वीकृत दो आश्रय स्थल (राजधानी एवं बिहारशरीफ योजना) के स्थान पर
2	रोशनपुर मोड़	पटना नगर निगम	1,25,46,418.00	
3	उत्तर कार्तिक	पथ निर्माण विभाग	1,25,46,418.00	पुराने रैन बसेरा के स्थान पर

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठंढ के मौसम में आमजनों के लिए 03 स्थायी आश्रय स्थल बनाने का प्रस्ताव है। ये जनहित में है। इसे पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती कावेरी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जनहित में है। इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे पक्ष एवं सुन्दर बनाया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 114 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 03 स्थलों पर स्थायी आश्रय स्थल/रैन बसेरा का निर्माण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-**

क्र0	स्थान	स्वामित्व	स्वीकृति की राशि (रू0)	अभ्युक्ति
1	NIT मोड़	पटना नगर निगम	1,15,46,418.00	पूर्व से स्वीकृत दो आश्रय स्थल (अंटाघाट एवं मैकडोवेल गोलम्बर) के स्थान पर
2	शेखपुरा मोड़	पटना नगर निगम	1,15,46,418.00	
3	आर ब्लॉक	पथ निर्माण विभाग	1,15,46,418.00	पुराने रैन बसेरा के स्थान पर

मद संख्या-19 :- **प्रधानमंत्री/राजीव आवास योजना कार्य की प्रगति प्रतिवेदन।**

अध्यक्ष :- प्रधानमंत्री/राजीव आवास योजना कार्य के प्रगति का प्रतिवेदन है। अवगत करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत क्रियान्वित प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी)/राजीव आवास योजना से संबंधित कार्यो की प्रगति प्रतिवेदन है। जिसे सशक्त स्थायी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ रखा गया है। जो निम्नवत् है :-

1.प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी)

क्र0	फेज	स्वीकृत लाभुक	आवंटित लाभुकों की संख्या	शेष लाभुकों की संख्या (3-4)	भुगतान किये गये लाभुकों की संख्या				पूर्ण आवासों की संख्या
					प्रथम किश्त (50,000/-)	द्वितीय किश्त (1,0000/-)	तृतीय किश्त (50,000/-)	चतुर्थ किश्त (50,000/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I	413	384	29	28	25	15	1	10
2	II	1677	1510	167	96	36	1	0	0
	कुल	**2090**	**1894**	**196**	**124**	**61**	**16**	**1**	**10**

उपर्युक्त के अतिरिक्त 18 लाभुकों को प्रथम, 18 लाभुकों को द्वितीय एवं 8 लाभुकों को तृतीय किश्त की राशि का भुगतान PFMS की प्रक्रिया में है।

महापौर
पटना नगर निगम

2.राजीव आवास योजना

क्र० सं०	अंचल	स्वीकृत लाभुकों की संख्या	कार्यादेश दिये गये लाभुकों की संख्या	शेष लाभुकों की संख्या	प्रथम किस्त भुगतान किये गये लाभुकों की संख्या ([illegible]/-)	द्वितीय किस्त भुगतान किये गये लाभुकों की संख्या ([illegible]/-)	तृतीय/अंतिम किस्त भुगतान किये गये लाभुकों की संख्या ([illegible]/-)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नूतन राजधानी अंचल	459	231	228	231	185	57	लाभुकों के शेष किस्तों का भुगतान हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-[illegible], दिनांक- [illegible] 2022 के द्वारा सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है तथा लाभुकों को किस्तवार राशि का भुगतान के लिए अंचलीय अवास को राशि आवंटित की जा चुकी है।
2	बांकीपुर अंचल	218	9	209	9	0	0	
3	पटना सिटी अंचल	93	45	48	45	45	21	
4	पाटलिपुत्र अंचल	250	157	93	157	137	90	
5	अजीमाबाद अंचल	800	187	613	187	146	15	
	कुल :-	1820	629	1191	629	513	183	

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव आवास योजना/प्रधान मंत्री आवास योजना का कार्य संतोष जनक नहीं है। अभी तक बहुत से लाभान्वितों को राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इसकी पुनः समीक्षा कर सूची के साथ अगली बैठक में रखें।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री/राजीव आवास योजना का कार्य असंतोष जनक है। इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पार्षद का सुझाव सही है। इसकी विस्तृत सूची अगली बैठक में रखें।

एजेंडा 20 :- श्री जय प्रसाद, सहायक, पटना सिटी अंचल के संविदा पर सेवा अवधि विस्तार के संबंध में।

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- संविदा पर सेवा अवधि विस्तार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- श्री जय प्रसाद, सेवा निवृत्त सहायक को संविदा पर एक वर्ष के लिए अवधि विस्तार का प्रस्ताव है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जय प्रसाद, सेवा निवृत्त सहायक की संविदा अवधि दिनांक-31.08.2023 को समाप्त हो रही है। इनकी पुनः एक वर्ष अवधि विस्तार का प्रस्ताव है। जिसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जय प्रसाद, सहायक, अजीमाबाद अंचल का संविदा पर सेवा अवधि विस्तार का प्रस्ताव है। इन्हें अवधि विस्तार दिया जाय।

प्रस्ताव सं0- 115 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री जय प्रसाद, सहायक, अजिमाबाद अंचल को संविदा पर सेवा अवधि विस्तार दिनांक-31.08.2024 (एक वर्ष के लिए) तक के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

पद संख्या-21 :- **श्री अवधेश कुमार सिंह, निजी सहायक(आशु टंकक) महापौर कार्यालय, पटना नगर निगम के संविदा पर सेवा अवधि विस्तार के संबंध में।**

अध्यक्ष :- संविदा पर सेवा अवधि विस्तार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- श्री अवधेश कुमार सिंह, निजी सहायक(आशु टंकक) को संविदा पर अवधि विस्तार का प्रस्ताव है। नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-4956, दिनांक-17.09.2018 के आलोक में किसी कर्मचारी को संविदा अवधि 67 वर्ष तक की जा सकती है। इस पर निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, श्री अवधेश कुमार सिंह, निजी सहायक(आशु टंकक) महापौर कार्यालय, पटना नगर निगम की संविदा पर अवधि विस्तार का प्रस्ताव है। संकल्प के अनुसार इन्हें दिनांक 22.12.2023 तक सेवा अवधि विस्तार के प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ । इसे पारित किया जाय। साथ ही एक सुझाव है कि दिनांक-22.12.2023 के बाद हम श्री अवधेश कुमार सिंह जैसे अनुभवी आशुटंकक की सेवा से वंचित हो सकते हैं। इनके स्थान पर एक आशुटंकक रखे जाने की आवश्यकता है।

प्रस्ताव सं०- 116 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री अवधेश कुमार सिंह, निजी सहायक(आशु टंकक) महापौर कार्यालय, पटना नगर निगम को दिनांक 22.12.2023 तक संविदा पर सेवा अवधि विस्तार के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पद संख्या-22 :- **वार्ड संख्या-70 में कम्पोस्ट पीट के संचालन हेतु 04 कर्मी की प्रतिनियुक्ति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- वार्ड संख्या-70 में कम्पोस्ट पीट के संचालन हेतु 04 कर्मी की प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- वार्ड संख्या-70 के अन्तर्गत कम्पोस्ट पीट के संचालन हेतु 04 कर्मी की प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव है, जिस पर निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं०- 117 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-70 में कम्पोस्ट पीट के संचालन हेतु 04 कर्मी की प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

महापौर
पटना नगर निगम

मद संख्या-23 :- स्वच्छाग्रिनी स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड को मशीनीकृत मेनहोल सफाई कार्य में इस्तेमाल हो रहे मनिवार वाहन के परिचालन हेतु जिला परिवहन विभाग द्वारा कॉमर्शियल लाईसेंस निर्गत होने की तिथि तक 04 (चार) चालक उपलब्ध कराने के संबंध में।

नगर आयुक्त :- स्वच्छाग्रिनी स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड को मशीन द्वारा मेनहोल सफाई कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहे मनिवार वाहन के परिचालन हेतु जिला परिवहन विभाग द्वारा कॉमर्शियल लाईसेंस निर्गत होने की तिथि तक 04 चालक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निगमहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं०- 118 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्वच्छाग्रिनी स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड को मशीनीकृत मेनहोल सफाई कार्य में इस्तेमाल हो रहे मनिवार वाहन के परिचालन हेतु जिला परिवहन विभाग द्वारा कॉमर्शियल लाईसेंस निर्गत होने की तिथि तक 04 (चार) चालक उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-24 :- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-11382/22 में पारित आदेश, दिनांक-07.08.2023 के आलोक में विज्ञापन के लिए कंडोनेशन एवं कम्पाउंडिंग शुल्क की गणना करते हुए उस पर पाँच गुणा अर्थ दंड वसूल करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- अर्थ दंड वसूल करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- सशक्त स्थायी समिति की 60वीं साधारण बैठक दिनांक–22.01.2016 के प्रस्ताव संख्या–69 से लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के विरूद्ध निगरानी वाद संबंधी मामले में भवन उपविधि से इतर हटकर किये गये निर्माण पर कंडोनेशन एवं कम्पाउंडिंग शुल्क की गणना करते हुए उन पर पाँच गुणा अर्थदण्ड अलग से वसूले जाने के संबंध में आदेश ज्ञापांक–2632 दिनांक–12.03.2016 निर्गत है।

सशक्त स्थायी समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं निर्गत आदेश ज्ञापांक–2632 दिनांक– 12.03.2016 के आलोक में निगरानी वाद संबंधी मामलों में भवन निर्माण में भवन उपविधि से विचलन की स्थिति में कंडोनेशन एवं कम्पाउंडिंग शुल्क की गणना करते हुए उन पर पाँच गुणा अर्थदण्ड अलग से अधिरोपित किया जाता है।

नगर आयुक्त न्यायालय द्वारा निगरानी वाद संख्या–46बी/2016 में पारित आदेश दिनांक–28.05.2019 एवं नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण–1 द्वारा अपील सं०–19(N) of 2019 (निगरानी वाद संख्या–46बी/2016 से उत्पन्न) में पारित आदेश दिनांक–22.06.2022 के विरूद्ध विक्षुब्ध पक्ष के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल (i) याचिका C.W.J.C. No-11382/2022 में पारित आदेश दिनांक–07.08.2023 एवं निगरानी वाद संख्या–4ए/2016 में पारित आदेश दिनांक–10.08.2016 एवं नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण–1 द्वारा अपील सं०–15(N) of 2016 (निगरानी वाद संख्या–4ए/2016 से उत्पन्न) में पारित आदेश दिनांक–16.03.2022 के विरूद्ध दाखिल (ii) याचिका C.W.J.C. No-5033/2023 में पारित आदेश दिनांक– 29.08.2023 में भवन उपविधि से किये गये विचलन पर कंडोनेशन एवं कम्पाउंडिंग शुल्क पर अलग से पाँच गुणा अर्थदण्ड की राशि की वसूली का स्वत्वाधिकार पटना नगर निगम को नहीं होने का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है।

(i) याचिका C.W.J.C. No-11382/2022 में पारित आदेश दिनांक–07.08.2023 की कंडिका–7 एवं 8 निम्नवत उद्धृत है–

7.-"The petitioner has made out a point. A perusal of the orders as narrated above clearly shows that:

(i) so far as the charging five times condonation fee is concerned, 'the PMC' is not entitled for that;

(ii) again so far as the penalty part is concerned, in view of the order that has been incorporated above, the Municipal authorities are duty bound to arrive at the finding after granting opportunity of hearing to the petitioner and in absence of that any order passed has to go.

8.-As such, the order dated 28.05.2019 by the Municipal Commissioner of 'the PMC' in Vigilance Case No.-46(B)/2016 (Annexure-4) and order dated 22.06.2022 in Appeal No.-19(N) of 2019 (Annexure-5) are hereby set aside."

महापौर
पटना नगर निगम

(ii) याचिका C.W.J.C. No-5033/2023 में पारित आदेश दिनांक–29.08.2023 की कंडिका–8 निम्नवत उद्धृत है:–

"8. Considering the submissions made on behalf of the parties and taking note of the order/ judgment passed by this Court dated 07.08.2023 in C.W.J.C. No. 11382 of 2022, the impugned order dated 12.03.2016 as contained in Memo No-2632 (Annexure-P/3) is hereby set aside. Further this Court also set aside the order passed by the Municipal Commissioner, Patna Municipal Corporation, in Vigilance Case No-04A/2016 dated 20.09.2016 (Annexure-P/5) as well as the order passed by the Municipal Building Tribunal-1, in Appeal No-15(N)2016 dated 15.03.2022 (Annexure-P/7) to the extent whereby five times fine over and above the condonation and compounding fee (Arth Dand) has been imposed upon the petitioner."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC NO-11382/2022 में दिनांक–07.08.2023 एवं CWJC NO-5033/2023 में दिनांक–29.08.2023 को आदेश पारित करते हुए भवन उपविधि से किये गये विचलन पर कंडोनेशन एवं कम्पाउंडिंग शुल्क पर अलग से पाँच गुणा अर्थदण्ड की राशि की वसूली के संबंध में पटना नगर निगम द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक–2632 दिनांक–12.03.2016 को रद्द करते हुए कंडोनेशन एवं कम्पाउंडिंग शुल्क पर अलग से अधिरोपित पाँच गुणा अर्थदण्ड को रद्द किया गया है।

निगरानी वाद संबंधी मामलों में भवन उपविधि से विचलन पाये जाने पर कंडोनेशन एवं कम्पाउंडिंग शुल्क पर अलग से अधिरोपित पाँच गुणा अर्थदण्ड की राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलस्वरूप संबंधित पक्ष के द्वारा अधिरोपित राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश एवं पाँच गुणा अर्थ दण्ड वसूले जाने के संबंध निर्गत आदेश ज्ञापांक–2632, दिनांक–12.03.2016 को Recall (वापस) करने के प्रस्ताव को निर्णय/स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु० सिन्हा :– माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम क्षेत्र में निगम द्वारा नक्शा से विचलन कर मकान निर्माण करने वाले पर कंडोनेशन एवं कम्पाउंडिंग शुल्क की राशि पर पाँच गुणा अर्थ दण्ड लेने के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने आदेश पारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में पाँच गुणा अर्थ दण्ड वसूले किये जाने के निर्गत आदेश ज्ञापांक–2632, दिनांक–12.03.2016 को Recall (वापस) करने के प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :– माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में पाँच गुणा अर्थ दण्ड से संबंधित आदेश को Recall (वापस) करने के प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0- 119:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-11382/22 में दिनांक-07.08.2023 एवं सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-5033/23 में दिनांक-29.08.2023 को पारित आदेश के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 के विरूद्ध निगरानी वाद मामले में भवन उपविधि से हटकर किए गए निर्माण पर कंडोनेशन एवं कम्पाउंडिंग शुल्क की गणना पर पाँच गुणा अर्थ दंड अलग से वसूली किये जाने हेतु निर्गत आदेश ज्ञापांक-2632, दिनांक-12.03.2016 को Recall (वापस) करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

मद संख्या-28 :- PDMC कार्य हेतु चयनित एजेंसी SGS India Private Limited का 01 वर्ष का अवधि विस्तार देने के संबंध में।

अध्यक्ष :- SGS India Private Limited का 01 वर्ष का अवधि विस्तार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- PDMC कार्य हेतु चयनित एजेंसी SGS India Private Limited का 01 वर्ष का अवधि विस्तार का प्रस्ताव है, जिस पर निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम में कई एजेंसियाँ कार्य कर रही है। जिसके कारण उसका निगरानी ठीक से नहीं हो पाता है। मेरा सुझाव है निगम में एजेंसी की संख्या कम होनी चाहिए। नई एजेंसी के चयन होने तक PDMC कार्य हेतु SGS India Private Limited एजेंसी को 03 माह तक अवधि विस्तार दिया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ। निगम में कार्यरत एजेंसियों को 03 माह तक कार्य अवधि का विस्तार करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इसे पारित किया जाय। नगर आयुक्त महोदय इस अवधि में पी0डी0एम0सी0 संबंधी कार्य हेतु नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आज की तिथि में निगम में कई एजेंसियाँ कार्यरत है। इन सब का कार्य संतोषजनक नहीं है। उनके कार्यो की निगरानी

महापौर
पटना नगर निगम

करने में भी कठिनाई होती है। इसलिए जरूरी है कि निगम में एजेंसियों की संख्या कम की जाय।

प्रस्ताव सं०- 120:- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि PDMC कार्य हेतु चयनित एजेंसी SGS India Private Limited को सेवा अवधि समाप्ति की तिथि से मात्र 03 माह का अवधि विस्तार देने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।</u>

मद संख्या-26 :- योजना की स्वीकृति के उपरान्त योजना की राशि उपलब्ध होने के उपरान्त निविदा के प्रकाशन एवं निविदा के निष्पादन के संबंध में।

अध्यक्ष :- निविदा के प्रकाशन एवं निविदा के निष्पादन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- योजना की स्वीकृति के उपरान्त योजना की राशि उपलब्ध होने के उपरान्त ही निगम में निविदा का प्रकाशन एवं निविदा का निष्पादन करने की स्वीकृति के संबंध में निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव अच्छा है। पर अभी छठ पूजा का आयोजन पटना नगर निगम द्वारा किया जाना है। इसके लिए राशि विभाग द्वारा दी जाती है। अभी तक पूर्व में जो छठ पूजा का आयोजन हुआ था, उसका भी राशि अब तक निगम को प्राप्त नहीं हुई है। इस स्थिति में इस प्रस्ताव पर फिलहाल कोई निर्णय लेने से कठिनाई पैदा हो सकती है। फिलहाल इस प्रस्ताव को स्थगित रखा जाय।

नगर आयुक्त :- फिलहाल इस प्रस्ताव को स्थगित रखा जाय।

मद संख्या-27 :- कार्यपालक पदाधिकारी को कुल 7.50 लाख तक की योजनाओं यथा-मैनहोल /कैचपीट/ मूत्रालय /जल-जीवन हरियाली/कंपोस्ट पिट / सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियों के विरत करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- कार्यपालक पदाधिकारियों को 7.50 लाख तक की विभिन्न योजनाओं में दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति के शक्तियों को विरत किये जाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के आदेश पत्रांक-01394, दिनांक-25.01.2021 से सभी कार्यपालक पदाधिकारी को कुल 7.50 लाख तक की योजनाओं यथा-नियहॉल /कैनपीट/मूत्रालय/जल-जीवन हरियाली/कम्पोस्ट पिट/सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्रदान की गई थी।

अतः वर्णित आदेश पत्रांक को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के संकल्प पत्रांक-2/90/सड़क/09-06/2004 3340, दिनांक-13.07.2015 में तकनीकी अनुमोदन हेतु प्राप्त निर्देश का अनुपालन करते हुए सभी तरह के योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मुख्यालय से ही प्राप्त करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं०- 121:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी को कुल 7.50 लाख तक की योजनाओं यथा-नैनहॉल/कैनपीट/ मूत्रालय/ जल-जीवन हरियाली/कम्पोस्ट पिट/ सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियों के निरस्त करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-28 :- पटना नगर निगम के सभी छः अंचलों में EV Charger Facility के अधिष्ठापन के संबंध में।

अध्यक्ष :- EV Charger Facility के अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी छः अंचलों में E-Cart के माध्यम से साफ-सफाई, कूड़ा उठाव एवं अन्य कार्य किये जाते हैं। इन वाहनों को चलाने हेतु प्रयुक्त बैटरी का उपयोग होता है। समय पर E-Cart Charge नहीं होने पर सफाई कार्य बाधित होता है एवं निगम प्रशासन को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सभी छः अंचलों में **EV Charger Facility** के अधिष्ठापन हेतु अनुरोध किया है। जिसे निगम के द्वारा सैद्धान्तिक सहमति संसूचित की गई है। **EV Charger Facility** के अधिष्ठापन हो जाने से समय पर बैटरी चालित वाहन एवं उपकरण चार्ज हो पायेंगे। इस संदर्भ में पटना नगर निगम के सभी छः अंचलों में **EV Charger Facility** के

महापौर
पटना नगर निगम

अधिष्ठापन पर निर्णय / स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्रीमती प्रवेशा राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कादम्बरी सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 122:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के सभी छः अंचलों में EV Charger Facility के अधिष्ठापन के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद संख्या-29 :- पटना नगर निगम के सभी छः अंचलों में HSD Consumer Pump के अधिष्ठापन के संबंध में।

अध्यक्ष :- HSD Consumer Pump के अधिष्ठापन का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी छः अंचलों में लगभग 1000 वाहनों से साफ–सफाई, कूड़ा उठाव एवं अन्य कार्य किये जाते हैं। इन वाहनों में प्रयुक्त ईंधन डीजल का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में इन वाहनों एवं उपकरणों के संचालन हेतु डीजल की आपूर्ति विभिन्न डीजल पम्पों से ली जा रही है। **HSD Consumer Pump** के अधिष्ठापन होने जाने से पेट्रोल पम्प की तुलना में कम लागत पर डीजल उपलब्ध हो जाएगा, जिससे पटना नगर निगम को वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकता है। इस संदर्भ में पटना नगर निगम के सभी छः अंचलों में HSD Consumer Pump अधिष्ठापन का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना नगर निगम में तेल की काफी चोरी हो रही है। हमलोगों पिछली बैठक में सी0एन0जी0 वाहन लेने का प्रस्ताव पारित किया है। मेरा सुझाव है कि फिलहाल HSD Consumer Pump अधिष्ठापन हेतु दो जगह की स्वीकृति दी जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। ट्रांसपोर्टनगर एवं पाटलिपुत्र में जगह दी जा सकती है।

श्री [illegible] कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिलहाल Pilot Project के तहत दो जगह की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0- 123 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि HSD Consumer Pump अधिष्ठापन हेतु Pilot Project के तहत दो स्थानों पर ट्रांसपोर्टनगर(कंकड़बाग अंचल) एवं पाटलिपुत्र वाहन पार्क (पाटलिपुत्र अंचल) में अधिष्ठापन के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

मद संख्या-30 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पार्कों में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Water Fountain हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- Water Fountain के निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम में सौन्दर्यीकरण हेतु Water Fountain को मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रस्ताव रखा गया है। मॉडल प्राक्कलन निम्नवत् है :

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(रू0)
1	पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वाटर फाउन्टेन निर्माण कार्य एवं तीन वर्षीय अनुरक्षण कार्य	12,87,880.00

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम के पार्कों एवं चौक चौराहों पर वाटर फाउंटेन के निर्माण से उस क्षेत्र की सुन्दरता बढ़ेगी। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक अच्छा प्रस्ताव है, परन्तु कई पार्कों में केवल Water Fountain लगाने से काम नहीं चलेगा। कई पार्कों के जीर्णोद्धार की योजना लेने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि जिन पार्कों में Water Fountain का अधिष्ठापन किया जाना है, उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

श्री प्रमोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा प्रस्ताव है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0– 124:- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में योजना प्राक्कलन की स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-</u>

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(रू0)
1	पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वाटर फाउन्टेन निर्माण कार्य एवं तीन वर्षीय अनुरक्षण कार्य	12,87,880.00

अ0म0द0सं0-01 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत रिक्त/भूमि/भवनों का कर निर्धारण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सम्पत्ति धारकों द्वारा किये जाने के संबंध में।

अध्यक्ष :- कर निर्धारण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सम्पत्ति धारकों द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त:- वर्तमान में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित संपत्तियों का कर निर्धारण ऑफलाईन एवं ऑनलाईन दोनों माध्यम से किया जा रहा है। प्रायः यह पाया जा रहा है कि सम्पत्तिधारकों द्वारा प्राप्त आवेदनों का स-समय निष्पादन नहीं किया जा रहा है। ऑफ लाईन माध्यम से सम्पत्तिधारकों को नई संपत्तियों का कर निर्धारण करने हेतु पटना नगर निगम द्वारा स्थापित काउंटरों पर एस0ए0एस0(SAS) फॉर्म के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेज की छाया प्रति जमा करना होता है, जिसके उपरान्त काउंटर पर संपत्ति का कर शुल्क जमा किया जाता है। अतः नागरिकों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इसे ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से करने का प्रस्ताव है, जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार- अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित में है, इसे पारित किया जा सकता है।

श्री विनोद कुमार- अध्यक्ष महोदया, नागरिकों को कर-निर्धारण में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सम्पत्ति का निर्धारण के प्रस्ताव को पारित किया जाए।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं०- 129:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत रिक्त/भूमि/भवनों का कर निर्धारण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सम्पत्ति धारकों द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

अ०प्र०सं०-02 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पार्किंग की सुविधा एवं पार्किंग शुल्क वसूली के संबंध में।

अध्यक्ष :- पार्किंग की सुविधा एवं पार्किंग शुल्क वसूली का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त वर्तमान में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 37 स्थलों को चिन्हित कर स्मार्ट पार्किंग में विकसित करने हेतु अमेजिंग इण्डिया कान्ट्रेक्टर्स प्रा०लि० को दिया गया है। एजेंसी के द्वारा चिन्हित स्थलों में पार्किंग क्षेत्र विकसित कर नागरिकों को पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए शुल्क की वसूली किये जाने का प्रावधान है।

उक्त 37 स्थलों के अतिरिक्त पटना नगर निगम के चार नए पार्किंग स्थलों यथा -

1. जे.पी. गंगा पथ से प्रारंभ होने वाली मरीन ड्राइव सड़क,
2. नेहरू मार्ग स्थित जगदेव पथ मोड़ से शेखपुरा मोड़ चार लेन फ्लाई ओवर के नीचे,
3. कंकड़बाग फ्लाई ओवर के नीचे
4. गांधी मैदान से चिरैयाटांड़ फ्लाई ओवर (एक्जीविशन रोड) के नीचे अमेजिंग इण्डिया कान्ट्रेक्टर्स प्रा०लि० को पूर्व के शर्त एवं बंदोबस्ती के आधार पर दिये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह पटना शहर के नागरिकों को पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है। पार्किंगों के विकसित हो जाने से शहर तो सुन्दर दिखेगा ही एवं नागरिकों को भी स्वच्छ वातावरण का लाभ मिलेगा साथ ही साथ स्वच्छता सर्वेक्षण के रैंकिंग में भी सुधार होगा।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :– माननीया अध्यक्ष महोदया, निश्चित तौर से अमोजिंग इंडिया कॉन्ट्रैक्टर प्रा० लि० को इन चारों पार्किंग स्थल की रख-रखाव करने /वसूली की व्यवस्था दी जाय। साथ ही यह जानकारी भी आवश्यक है कि जिन शर्तों एवं बंधेज के साथ 37 स्मार्ट पार्किंग Develop करने की जवाबदेही इस एजेंसी को दी गयी थी। क्या उसका अनुपालन हो रहा है? क्या सभी 37 पार्किंग को सही ढंग से रख-रखाव एवं संचालित किया जा रहा है? यदि नहीं तो इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

श्री मनोज कुमार :– माननीया अध्यक्ष महोदया, अमोजिंग इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा० लि० द्वारा जिन पार्किंग स्थलों से लाभ पहुँचता है, उसका रख-रखाव कर रहा है। लेकिन जहाँ से उसे कम आय हो रहा है। उसका रख-रखाव ठीक से नहीं कर रहा है।

श्रीमती श्वेता राय :– माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित में है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं०- 126:– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 04 अतिरिक्त स्थलों पर पार्किंग स्थल चिन्हित करते हुए स्मार्ट पार्किंग में विकसित करने के उपरान्त पार्किंग शुल्क की वसूली एवं रख-रखाव का कार्य पूर्व के शर्त एवं बंधेज पर अमोजिंग इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा० लि० को देने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जो निम्नवत् है :–

1. जे.पी. गंगा पथ से प्रारंभ होने वाली मरीन ड्राइव सड़क,
2. नेहरू मार्ग स्थित जगदेव पथ मोड़ से शेखपुरा मोड़ चार लेन फ्लाई ओवर के नीचे,
3. कांकड़बाग फ्लाई ओवर के नीचे
4. गांधी मैदान से चिरैयाटांड़ फ्लाई ओवर (एक्जीबिशन रोड) के नीचे

अ०म०प्र०सं०-03 :– पटना नगर निगम के वार्डों में IEC Acitivity के लिए चयनित एजेंसी **Human Matrix Securite** की कार्यावधि दिनांक-01.09.2023 से आगामी 01 (एक) वर्ष तक विस्तार करने के संबंध में।

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- अवधि विस्तार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के कार्य में IEC Activity के लिए चयनित एजेंसी Human Matric Security की कार्यावधि दिनांक-31.08.23 को पूर्ण हो रही है जिसे दिनांक-01.09.2023 से आगामी 01 वर्ष तक अवधि विस्तार करने का प्रस्ताव है, जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, एजेंसी को जिस कार्य के लिए रखा गया है। उसमें से प्रमुख कार्य स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान नागरिकों में जागरूकता फैलाना था। एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप एजेंसी कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर रही है। मेरा सुझाव है नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक 03 माह का अवधि विस्तार किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूँ। मेरे विचार में Human Matrix Securite को जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाया गया था उसकी पूर्ति करने में टीम सक्षम नहीं है। इनके पास कुशल एवं दक्ष कर्मियों की कमी है। निःसंदेह पिछले दो-तीन माह में इन्होंने अपने कार्यशैली में बदलाव लाने का प्रयास किया है। हमने कहीं भी इवेंट स्तर पर सांस्कृतिक एवं जन जागरूकता अभियान का क्रियान्वयन करते नहीं देखा है। Human Matrix Securite टीम का माननीय पार्षद के साथ समन्वय का अभाव दिखा। प्रत्येक माननीय पार्षद चाहते हैं कि स्वच्छता में पटना को बेहतर से बेहतर अंक मिले। Human Matrix Securite टीम के द्वारा जो कर्मी वार्डों में लगाये गये थे उन कर्मियों को न तो वार्ड के सफाई निरीक्षक से न ही पार्षद से कोई लगाव था। फिलहाल स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक 03 माह का अवधि विस्तार किया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ, स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए 03 माह की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं०- 127:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के वार्ड में IEC Acitivity के लिए चयनित एजेंसी Human Matrix Securite को नये एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक दिनांक-01-09-2023 से अगले 03 माह तक अवधि विस्तार दिये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ०मद०सं०-04 :- पटना नगर निगम में **AADHAR Enabled Biometric Attendance System(AEBAS) को लागू करने पर इंडियन बैंक, पटना के द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर विमर्श के संबंध में।**

अध्यक्ष :- AADHAR Enabled Biometric Attendance System(AEBAS) को लागू करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम में Aadhar Enabled Biometric Attendance system (AEBAS) को लागू करने हेतु इण्डियन बैंक के द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है। उक्त कार्य प्रणाली के प्रभावी हो जाने पर चिन्हित स्थल पर कर्मियों के डाटा बेस के आधार पर उपस्थिति दर्ज की जाएगी। कर्मियों की उपस्थिति को यूआईडीएआई(आधार) के डाटाबेस से सत्यापित किया जाएगा। इस कार्य हेतु एक वेब पोर्टल का निर्माण किया जाएगा जिसमें अधिकारियों के साथ-साथ नियंत्री पदाधिकारी भी उपस्थिति विवरणी प्राप्त कर सकते है तथा प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर वेतन/ मानदेय निर्गत किया जाएगा। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आये दिन कर्मचारियों की उपस्थिति से संबंधित शिकायतें आती रहती है। इस पद्धति के लागू हो जाने से कर्मचारियों की उपस्थिति की शिकायतें बहुत हद तक समाप्त हो जाएँगी। इसे पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निगम हित का मामला है, इसे पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0- 128 :- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम में AADHAR Enabled Biometric Attendance System(AEBAS) को लागू करने हेतु इंडियन बैंक, पटना द्वारा दिये गये प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।</u>

अ0म0प्र0सं0-05 :- मौर्यालोक अवस्थित Sanitation Mart से सभी अंचलों के लिये सामग्री प्राप्त करने हेतु तालिका के अनुसार दिन एवं एजेंसी का निर्धारण के संबंध में।

अध्यक्ष :- Sanitation Mart द्वारा सभी अंचलों में सामग्री वितरण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- मौर्यालोक स्थित सैनिटेशन मार्ट से सभी अंचलों के लिए सामग्री प्राप्त हेतु तालिका के अनुसार दिन एवं एजेंसी के निर्धारण का प्रस्ताव है जो संलेख के तालिका में अंकित है। जिसको स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। अंचलवार सामग्रियों का आकलन निम्न प्रकार है :-

क्र0	सामग्री का प्रकार	प्रति वार्ड मासिक आवश्यकता	वार्डवार साप्ताहिक आवश्यकता
1	चूना	20 बैग X 25 KG प्रति बैग	5 Bag
2	ब्लीचिंग पाउडर	05 बैग X 25 KG प्रति बैग	1.25 Bag
3	झाडू	100 KG	25 KG

उक्त के आलोक में मौर्यालोक अवस्थित Sanitation Mart से सभी अंचलों के लिए सामग्री प्राप्त करने हेतु निम्न तालिका के अनुसार दिन एवं एजेंसी का निर्धारण किया गया है :-

क्र0	अंचल का नाम	कुल वार्डों की संख्या	सामग्री प्राप्त करने हेतु निर्धारित दिन	सम्बद्ध एजेंसी
01	पाटलिपुत्र अंचल	16	सोमवार	Digambar Developer (M-9965282045)
02	नूतन राजधानी अंचल	16	मंगलवार	Anand Enterprises (M-9852943282)
03	कंकड़बाग अंचल	11	बुधवार	Digambar Developer (M-9965282045)
04	बाँकीपुर अंचल	12	गुरुवार	Anand Enterprises (M-9852943282)
05	अजीमाबाद अंचल	12	शुक्रवार	Digambar Developer (M-9965282045)
06	पटना सिटी अंचल	28	शनिवार	Anand Enterprises (M-9852943282)

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इससे सभी अंचलों में समानता आएगी तथा कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। इसे प्रयोग के तौर पर 06 माह की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसे पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव स्वागतयोग्य है। मेरा सुझाव है कि विशेष परिस्थिति के लिए अंचलों को भी एक अनुपात में सामग्री उपलब्ध करायी जाय। यह एक अच्छा प्रयोग है। इसे 06 माह की स्वीकृति देते हुए प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम हित का मामला है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 129:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौर्यलोक अवस्थित Sanitation Mart से सभी अंचलों के लिये सफाई संबंधित सामग्री आपूर्ति 06 माह के लिए किये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अंचलवार सामग्रियों का आकलन निम्न प्रकार है :-

क्र0	सामग्री का प्रकार	प्रति वार्ड मासिक आवश्यकता	वार्डवार साप्ताहिक आवश्यकता
1	चूना	20 बैग X 25 KG प्रति बैग	5 Bag
2	ब्लीचिंग पाउडर	05 बैग X 25 KG प्रति बैग	1.25 Bag
3	झाडू	100 KG	25 KG

सफाई सामग्री की आपूर्ति निम्न तालिका के अनुसार की जाएगी :-

क्र0	अंचल का नाम	कुल वार्डों की संख्या	सामग्री प्राप्त करने हेतु निर्धारित दिन	सम्बद्ध एजेंसी
01	पाटलिपुत्र अंचल	16	सोमवार	Digambar Developer (M-9905282045)
02	नूतन राजधानी अंचल	16	मंगलवार	Anand Enterprises (M-9852943282)
03	कंकड़बाग अंचल	11	बुधवार	Digambar Developer (M-9905282045)
04	बाँकीपुर अंचल	12	गुरुवार	Anand Enterprises (M-9852943202)
05	अजीमाबाद अंचल	12	शुक्रवार	Digambar Developer (M-9905282045)
06	पटना सिटी अंचल	08	शनिवार	Anand Enterprises (M-9852943282)

महापौर
पटना नगर निगम

अ०मद०सं०-06 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सफाई कार्य में कार्यरत स्थायी तथा दैनिक सफाई मजदूरों को **Lunch Box** तथा **Water Bottle** उपलब्ध कराने के संबंध में।

अध्यक्ष :- स्थायी तथा दैनिक सफाई मजदूरों को Lunch Box तथा Water Bottle उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सफाई कार्य में कार्यरत स्थायी तथा दैनिक सफाई मजदूरों को लंच बॉक्स एवं वाटर बोतल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह अच्छा प्रस्ताव है। हमारे कर्मी प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक काफी परिश्रम करते हैं। Lunch Box में अपने घर से ताजा भोजन लाकर Lunch करेंगे एवं Water Bottle में स्वच्छ जल का उपयोग करेंगे। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कर्मचारी हित का मामला है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कान्ति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, ऐसे उपहार देने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती प्रवेला राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 130:- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सफाई कार्य में कार्यरत स्थायी तथा दैनिक सफाई मजदूरों को Lunch Box तथा Water Bottle उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।</u>

महापौर
पटना नगर निगम

क्रमसं०-07 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अपशिष्ट प्रबंधन हेतु NITTR के साथ किए जाने वाले MOU हेतु स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- अपशिष्ट प्रबंधन हेतु NITTR के साथ MOU का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अपशिष्ट प्रबंधन हेतु NITTR के साथ एम.ओ.यू. हेतु प्रस्ताव लाया गया है। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय -02 के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट योजना के अधीन पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत केन्द्रीकृत अपशिष्ट की ईकाई की स्थापना एवं संचालन NITTR के साथ किये जाने हेतु विभाग के द्वारा 4.55 करोड़ रू० की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्लांट स्थापित करने हेतु पटना नगर निगम द्वारा 1000 वर्ग मीटर का स्थल, शेड एवं प्रतिदिन 10 TPD ठोस अपशिष्ट उपलब्ध कराया जाएगा। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति समक्ष प्रस्ताव रखा गया है।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के अधीन पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत केन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन की इकाई स्थापना हेतु राशि 4.55 करोड़ प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम हित का मामला है। इसके लिए विभाग से भी राशि प्राप्त हो गयी है, अतः एम ओ यू की स्वीकृति दी जा सकती है।

श्रीमती कान्ति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह निगम हित का मामला है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं०- 131:- <u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अपशिष्ट प्रबंधन हेतु NITTR के साथ किए जाने वाले MOU के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।</u>

महापौर
पटना नगर निगम

अ0म0सं0-08 :- **15वें वित्त आयोग की राशि से पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 405 अदद E-cart का क्रय करने की स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- E-cart क्रय का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- ठोस कचरा प्रबंधन के लिए वर्तमान समय में Close Tipper एवं E-cart का उपयोग किया जा रहा है। E-cart द्वारा छोटी-छोटी गलियों से कचरा का उठाव किया जा रहा है। पूर्व में क्रय किये गये E-cart काफी पुराने हो गये हैं और कई प्रकार की तकनीकी खामियाँ आती रहती हैं। जिसके कारण कचरा के उठाव में काफी शिकायतें मिल रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि से प्रत्येक वार्ड में 05 अदद E-cart उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इस प्रकार 75x05=375 अदद E-cart निगम को प्राप्त हो जायेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक अंचल में 05 E-cart Reserve रखने की आवश्यकता है। अर्थात अतिरिक्त 30 E-cart क्रय की आवश्यकता है। इस प्रकार 15वें वित्त आयोग की राशि से कुल 375+30=405 E-cart क्रय की स्वीकृति का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदया, 15वें वित्त आयोग की राशि के बजाये छठे वित्त आयोग की राशि से E-cart का क्रय करना बेहतर होगा।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ। छठे वित्त आयोग में भी E-cart के क्रय हेतु राशि पर्याप्त है। इसे छठे वित्त आयोग की राशि से ही क्रय किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव अच्छा है। छोटी-छोटी गलियों के लिए यह उपयोगी वाहन है। जो अंचल में ओपेन टीपर है, उसको भी मरम्मति करायी जाय। जिससे कचरा ले जाने में आसानी हो। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, इससे डोर टू डोर कचरा संग्रहण में मजबूती आएगी। यह निगमहित का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0- 132:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 15वें वित्त आयोग की राशि से पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 405 अदद E-cart का क्रय करने की स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

अ0प्र0सं0- 09 :- **1 अदद River Trash Skimmer का 3 वर्षों के Comprehensive operations & Maintenance के साथ क्रय की स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- River Trash Skimmer क्रय का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के पास गंगा नदी में मैकेनाइज्ड तरीके से सफाई कार्य किये जाने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक वर्ष छठ पूजा का आयोजन हेतु गंगा नदी के घाटों पर सफाई करायी जाती है। गंगा नदी में तैरते कचरे को निकालने हेतु River Trash Skimmer का 3 वर्षों के Comprehensive operations & Maintenance के साथ क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए राशि AMRUT योजना से प्राप्त होगी। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा प्रस्ताव है। छठ पर्व के अवसर पर गंगा घाटों के किनारे से तैरते हुए कचरे को निकाला जाएगा। इसका प्रयोग हम अन्य दिनों में भी कर सकते हैं। यह प्रस्ताव निगम एवं जनहित में है। इसे पारित किया जाय।

श्री आशीष कु0 सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा प्रस्ताव है। इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर : माननीय अध्यक्ष महोदया, River Trash Skimmer का क्रय निगमहित में है, इस प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रस्ताव सं0- 133:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 अदद River Trash Skimmer का 3 वर्षों के Comprehensive operations & Maintenance के साथ क्रय करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

अ0प्र0सं0- 11 : **Construction of U/G Drain, Earth Filling and PCC Road in NCC Campus Area, Saidpur ward No-48 Under Bankipur, Division, PMC Patna की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

(हस्ताक्षर)
महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- वार्ड संख्या-48 के अन्तर्गत NCC Campus Area में भूगर्भ नाला, पी०सी०सी० सड़क निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- वार्ड संख्या-48 के अन्तर्गत जल-जमाव निजात पाने हेतु नाला, सड़क के निर्माण कार्य हेतु माननीय वार्ड पार्षद द्वारा अनुशंसा की गयी है, जिसकी प्राक्कलित राशि 99,46,200/- रू० है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। इस योजना पर व्यय 15वें वित्त आयोग की मद की राशि से की जाएगी। **जिसका विवरण निम्नवत् है :-**

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(रू०)
01	**Construction of U/G Drain, Earth Filling and PCC Road in NCC Campus Area, Saidpur ward No-48 Under Bankipur, Division, PMC Patna**	99,46,200.00

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, जल-जमाव का मामला है। इस संबंध में NCC के ग्रुप कमांडर ने नगर आयुक्त महोदय एवं माननीया महापौर महोदया से कई बार व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया है। **NCC Campus Area** में प्रशिक्षण हेतु प्रदेश भर से छात्र भाग लेते हैं। इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

श्री विनोद कुमार : माननीया अध्यक्ष महोदया, यह विषय वार्ड संख्या-48 के अन्तर्गत NCC Campus Area से जुड़ा है। नाला एवं सड़क निर्माण होने से काफी राहत मिलेगी। इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

प्रस्ताव सं०- 134:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Construction of U/G Drain, Earth Filling and PCC Road in NCC Campus Area, Saidpur ward No-48 Under Bankipur, Division, PMC Patna की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी प्राक्कलित राशि 99,46,200.00 रू० है। इस योजना को 15वें वित्त (प्रदूषण मद) की राशि से की जाएगी।**

अनुपूरक०-12 :- जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक-27.07.2023 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही में अनुशंसित कुल-06 आवेदन पत्रों के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद निर्धारण करते हुए संबंधी आदेश निर्गत करने के संबंध में।

अध्यक्ष :- अनुकम्पा पर नियुक्ति का प्रस्ताव है।

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक- 27.07.2023 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही में अनुशंसित कुल-06 आवेदन पत्रों के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद निर्धारित करते हुए संबंधी आदेश निर्गत करने का प्रस्ताव है, जिसको स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

जिसकी सूची निम्नवत है :-

क्रमांक	मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम एवं मृत्यु/ सेवानिवृत्ति की तिथि	आवेदक का नाम, पूरा पता एवं जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	अनुकम्पा समिति का निर्णय
1	2	3	4	5
1	स्व0 [illegible] राम, सफाई कर्मी, पटना सिटी अंचल, प0नि0 मृत्यु-17.10.2020 सेवानिवृत्ति-31.03.2026	श्री [illegible] कुमार (ज्येष्ठ आश्रित पुत्र) जन्म-01.01.1988 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जिला-पटना-800008	अष्टम वर्ग उत्तीर्ण	आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम वर्ग उत्तीर्ण हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10273, दिनांक-16.12.2008 एवं पत्रांक-3477, दिनांक-26.04.1997 तथा पत्रांक-7856, दिनांक-23.09.2022 के द्वारा महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। अतः उक्त पत्र के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (लेवल स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोजन नियुक्ति से पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। **अनुपालन-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।**
2	स्व0 [illegible], [illegible] [illegible] कार्यालय [illegible], पटना [illegible] [illegible] [illegible] मृत्यु-[illegible] सेवानिवृत्ति-[illegible]	श्री [illegible] कुमार (पुत्र/आश्रित पुत्र) जन्म-01.01.2000 [illegible] [illegible] [illegible] जिला-पटना।	मैट्रिक	वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे 1800 (लेवल स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोजन नियुक्ति के पूर्व सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/ कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। **अनुपालन-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।**
3	स्व0 [illegible], सफाई मजदूर, पटना सिटी अंचल, प0नि0 मृत्यु-[illegible] सेवानिवृत्ति-[illegible]	श्री [illegible] कुमार (द्वितीय आश्रित पुत्र) जन्म-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पटना-800008	अष्टम वर्ग उत्तीर्ण	आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा अष्टम वर्ग उत्तीर्ण हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10273, दिनांक-16.12.2008 एवं पत्रांक-3477, दिनांक-26.04.1997 तथा पत्रांक-7856, दिनांक-23.09.2022 के द्वारा महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। अतः उक्त पत्र के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (लेवल स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोजन नियुक्ति के पूर्व सभी आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।

पटना नगर निगम

महापौर
पटना नगर निगम

				अनुशंसा-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
4	स्व० विनोद राम सफाई मजदूर बांकीपुर अंचल प.न.नि. मृत्यु-[illegible] कैंप-[illegible]	श्री राजू राम (प्रथम अविवाहित पुत्र) जन्म-01.01.1988 [illegible] अंबेडकर भवन राजेन्द्र नगर पटना	अक्षर ज्ञान उत्तीर्ण	आवेदक महादलित श्रेणी के है तथा अक्षर ज्ञान उत्तीर्ण है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या-[illegible], दिनांक-[illegible] एवं पत्रांक-[illegible], दिनांक-[illegible] तथा पत्रांक-[illegible], दिनांक-[illegible] के द्वारा महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अक्षर ज्ञान उत्तीर्ण निर्धारित है। अतः उक्त पत्र के आलोक में [illegible] कर्मचारी को वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोजन नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुशंसा-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
5	स्व० [illegible] सफाई मजदूर पटना सिटी अंचल प.न.नि. मृत्यु-[illegible] कैंप-[illegible]	श्री [illegible] राम (द्वितीय विवाहित पुत्र) जन्म-01.01.[illegible] [illegible] पो०-[illegible] थाना-[illegible] जिला-पटना।	निरक्षर	आवेदक महादलित श्रेणी के है तथा निरक्षर है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या-[illegible], दिनांक-[illegible] के कंडिका-[illegible] तथा महादलित आयोग के [illegible] की कंडिका-[illegible] के अनुसार [illegible] महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अक्षर ज्ञान उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम [illegible] वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। अतः अनुशंसित [illegible] कर्मचारी को उक्त पत्र के आलोक में वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोजन नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुशंसा-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
6	स्व० [illegible] सफाई मजदूर [illegible] अंचल प.न.नि. मृत्यु-[illegible] कैंप-[illegible]	श्री [illegible] कुमार (द्वितीय पुत्र अविवाहित) जन्म-[illegible] [illegible] अंबेडकर भवन राजेन्द्र नगर, [illegible], पटना।	मैट्रिक	वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोजन नियुक्ति के पूर्व सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/ कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुशंसा-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।

(उपरोक्त विवरणी के अनुसार कुल-[illegible] अभ्यर्थियों को वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (वेतन स्तर-1) में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया है।)

श्री [illegible] सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुकम्पा पर नियुक्ति का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री [illegible] कुमार [illegible] :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुकम्पा पर नियुक्ति का प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

उप-महापौर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 06 कर्मचारियों की अनुकम्पा पर नियुक्ति का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाए।

प्रस्ताव सं0- 138:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक-27.07.2023 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही में अनुशंसित कुल-06 आवेदन पत्रों के संदर्भ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद निर्धारण करते हुए संबंधी आदेश निर्गत करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जिसकी सूची निम्नवत् है :-

क्रमांक	मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम एवं मृत्यु/ सेवानिवृत्ति की तिथि	आवेदक का नाम, मृत सेवक से संबंध एवं जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	अनुकम्पा समिति का निर्णय
1	2	3	4	5
1	स्व0 [illegible], सफाई कर्मी, [illegible] प0न0नि0 मृत्यु-[illegible] सेवानिवृत्ति-[illegible]	श्री [illegible] [illegible] आश्रित पुत्र जन्म-[illegible] [illegible] जिला-पटना-[illegible]	प्रथम वर्ग उत्तीर्ण	आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा प्रथम वर्ग उत्तीर्ण हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 एवं पत्रांक-3877, दिनांक-28.04.1997 तथा पत्रांक-[illegible], दिनांक-20.09.2022 के द्वारा महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रथम वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। अतः उक्त पत्र के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (लेवल संख्या-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोजन नियुक्ति के पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालक-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
2	स्व0 [illegible], [illegible], [illegible] प0न0नि0 मृत्यु-[illegible] सेवानिवृत्ति-[illegible]	श्री [illegible] आश्रित पुत्र जन्म-[illegible] [illegible] जिला-[illegible]	मैट्रिक	वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (लेवल संख्या-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियोजन नियुक्ति के पूर्व सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/ कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। अनुपालक-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।
3	स्व0 [illegible], सफाई मजदूर, [illegible] प0न0नि0 मृत्यु-[illegible] सेवानिवृत्ति-[illegible]	श्री [illegible] आश्रित पुत्र जन्म-[illegible] [illegible]	प्रथम वर्ग उत्तीर्ण	आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा प्रथम वर्ग उत्तीर्ण हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-10073, दिनांक-18.12.2008 एवं पत्रांक-3877, दिनांक-28.04.1997 तथा पत्रांक-[illegible], दिनांक-20.09.2022 के द्वारा महादलित श्रेणी

महापौर
पटना नगर निगम

		पटना-[illegible]		के आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अल्प वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। अतः उक्त पत्र के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (लेवल स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियमित नियुक्ति से पूर्व सभी अवयस्क [illegible] प्रमाण-पत्र तथा अन्य कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। **अनुपालन-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**, पटना नगर निगम, पटना।
4	स्व0 [illegible] राम सफाई मजदूर, [illegible] अंचल, प.न.नि. मृत्यु-07.07.2025 [illegible]-20.12.2017	श्री [illegible] कुमार (प्रथम [illegible] पुत्र) जन्म-01.01.1987 [illegible] रोड, [illegible] भवन [illegible] नगर, पटना	अल्प वर्ग उत्तीर्ण	आवेदक महादलित श्रेणी के है तथा अल्प वर्ग उत्तीर्ण है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-[illegible], दिनांक-18.12.2008 एवं पत्रांक-[illegible], दिनांक-[illegible] तथा पत्रांक-[illegible], दिनांक-[illegible] के द्वारा महादलित श्रेणी के आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अल्प वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। अतः उक्त पत्र के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (लेवल स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियमित नियुक्ति से पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। **अनुपालन-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**, पटना नगर निगम, पटना।
5	स्व0 [illegible] सफाई मजदूर, [illegible] अंचल, प.न.नि. मृत्यु-[illegible] [illegible]-20.12.2021	श्री [illegible] द्वितीय विवाहित पुत्र जन्म-01.01.1984 [illegible] पो0-[illegible] थाना-[illegible], जिला-पटना।	निरक्षर	आवेदक महादलित श्रेणी के हैं तथा निरक्षर हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-[illegible], दिनांक-18.12.2008 की कंडिका-[illegible] तथा महादलित आयोग के प्रतिवेदन की कंडिका-22 के द्वारा पूर्व महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अल्प वर्ग उत्तीर्ण नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त पत्र के आलोक में वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (लेवल स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियमित नियुक्ति से पूर्व सभी कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। **अनुपालन-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**, पटना नगर निगम, पटना।
6	स्व0 [illegible] सफाई मजदूर, [illegible] अंचल, प.न.नि. मृत्यु-[illegible] [illegible]	श्री [illegible] कुमार द्वितीय पुत्र अविवाहित, जन्म-20.12.1983 [illegible] रोड, [illegible] भवन, [illegible], पटना।	मैट्रिक	वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे-1800 (लेवल स्तर-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। नियमित नियुक्ति से पूर्व सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/कागजातों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे। **अनुपालन-नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**, पटना नगर निगम, पटना।

[illegible]

महापौर
पटना नगर निगम

अ0म0स0सं0-13 :- बाँकीपुर अंचल अन्तर्गत वार्ड संख्या-38 में बलदेव सहाय रोड में बुद्धमूर्ति गोलम्बर से कांग्रेस मैदान रोड तक भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- वार्ड संख्या-38 में भूगर्भ नाला के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- वार्ड संख्या-38 में बलदेव सहाय रोड में बुद्धमूर्ति गोलम्बर से कांग्रेस मैदान रोड तक भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है, जिसकी प्राक्कलित राशि 30,32,000.00 रू0 है की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। इस योजना का व्यय 15वें वित्त आयोग की मद की राशि से की जाएगी। जिसकी विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(रू0)
01	बाँकीपुर अंचल अन्तर्गत वार्ड संख्या-38 में बलदेव सहाय रोड में बुद्धमूर्ति गोलम्बर से कांग्रेस मैदान रोड तक भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य।	30,32,000.00

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मानसून में यह इलाका जलमग्न रहता है। इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नाला निर्माण का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय वार्ड संख्या-38 की जनता से जुड़ा है। नाला के निर्माण होने से वार्ड संख्या-38 की जनता को काफी राहत मिलेगी। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 136:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बाँकीपुर अंचल अन्तर्गत वार्ड संख्या-38 में बलदेव सहाय रोड में बुद्धमूर्ति गोलम्बर से कांग्रेस मैदान रोड तक भूगर्भ नाला का निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी प्राक्कलित राशि 30,32,000.00 रू0 है। इस योजना का क्रियान्वयन 15वें वित्त (प्रभूवना मद) की राशि से की जाएगी।

महापौर
पटना नगर निगम

अ०व०सं० -14 :- **बाँकीपुर अंचल अन्तर्गत वार्ड संख्या-38 में बलदेव सहाय रोड में बुद्धमूर्ति गोलम्बर से कांग्रेस मैदान रोड तक बिटुमिनस रोड का निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- बिटुमिनस रोड का निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- बाँकीपुर अंचल अन्तर्गत वार्ड संख्या-38 में बलदेव सहाय रोड में बुद्धमूर्ति गोलम्बर से कांग्रेस मैदान रोड तक बिटुमिनस रोड का निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्ताव है, जिसकी प्राक्कलित राशि 69,87,000.00 है की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। इस योजना पर व्यय 15वीं वित्त आयोग की मद की राशि से की जाएगी। विवरण निम्नवत् है :-

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(रू०)
01	**बाँकीपुर अंचल अन्तर्गत वार्ड संख्या-38 में बलदेव सहाय रोड में बुद्धमूर्ति गोलम्बर से कांग्रेस मैदान रोड तक बिटुमिनस रोड का निर्माण कार्य।**	69,87,000.00

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। पी०सी०सी० सड़क से बिटुमिनस सड़क काफी अच्छा होता है, मेरा सुझाव है कि निगम क्षेत्र में बिटुमिनस सड़क ही बनाया जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा भी मानना है कि पी०सी०सी० सड़क से बिटुमिनस सड़क काफी अच्छा होता है। निगम के बिटुमिन सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं०- 137:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बाँकीपुर अंचल अन्तर्गत वार्ड संख्या-38 में बलदेव सहाय रोड में बुद्धमूर्ति गोलम्बर से कांग्रेस मैदान रोड तक बिटुमिनस रोड का निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी प्राक्कलित राशि 69,87,000.00 रू० है। इस योजना का क्रियान्वयन 15वें वित्त (प्रयुक्त मद) की राशि से की जाएगी।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

अ0म0सं0-15 :- **Laying HDPF Line in Pili Kothi, Pathar Gali Post office Road, Tam-tam Gali and House to house connection in ward no-20 प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- ward no-20 की पाईप लाइन बिछाव की योजना का प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीय वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-20 के अनुरोध के आलोक में आम लोगों के पेय जल की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पाईप लाईन बिछाव की योजना का प्रस्ताव है, जिसकी प्राक्कलित राशि 56,69,900.00 रू0 है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(रू0)
01	**Laying HDPF Line in Pili Kothi, Pathar Gali Post office Road, Tam-tam Gali and House to house connection in ward no-20**	56,69,900.00

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 138 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Laying HDPF Line in Pili Kothi, Pathar Gali Post office Road, Tam-tam Gali and House to house connection in ward no-20 **प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी प्राक्कलित राशि** 56,69,900.00 रू0 है।

अ0म0सं0-16 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी नाला निर्माण जीर्ण-शीर्ण योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-30 के अन्तर्गत 06 योजनाओं की अनुशंसा की गई है, जो जल-जमाव के निराकरण से संबंधित है, तथा संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। जिसकी सूची निम्नवत् है :-

महापौर
पटना नगर निगम

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(रू0)
1	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 30 अन्तर्गत बंगाली टोला इन्दिरा नगर रोड नं0-01 अंतिम से इन्दिरा नगर रोड नं0-04 अंतिम प्वाइन्ट तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य।	24,97,743.00
2	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत बंगाली टोला मुख्य सड़क सुरेशकर प्रसाद के पीछे अर्जुन पाण्डे के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य	7,63,402.00
3	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत बंगाली टोला मुख्य पथ से अमर नाथ प्रसाद के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	14,28,587.00
4	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत रेलवे कामेश्वर प्रसाद के मकान से अजय पेन्ट हाउस तक भूगर्भ नाला एवं सड़क निर्माण कार्य।	13,65,915.00
5	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत रामसुहावन सिंह के घर से देवेन्द्र सिंह के घर होते हुए सुरेशकर सिंह के मकान होते हुए गिरधुर सिंह के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य	17,21,544.00
6	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत न्यू बंगाली टोला से शिवलोक कुमार सिन्हा के मकान से चौधरी मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	20,26,966.00

श्रीमती कान्ति देवी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 139:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत 06 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी सूची निम्नवत् है :-

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(रू0)
1	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत बंगाली टोला इन्दिरा नगर रोड नं0-01 अंतिम से इन्दिरा नगर रोड नं0-04 अंतिम प्वाइन्ट तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य।	24,97,743.00
	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत बंगाली टोला मुख्य सड़क सुरेशकर प्रसाद के पीछे अर्जुन पाण्डे के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य	7,63,402.00

महापौर
पटना नगर निगम

3	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत बंगाली टोला मुख्य पथ से अमर नाथ प्रसाद के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	14,78,587.00
4	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत वैरागी वासुदेव प्रसाद के मकान से अमर गेस्ट हाउस तक भूगर्भ नाला एवं सड़क निर्माण कार्य।	13,68,918.00
5	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत रामसुन्दर सिंह के घर से देवेन्द्र सिंह के घर होते हुए सुरेन्द्र सिंह के मकान होते हुए निरंजन सिंह के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य	17,71,544.00
6	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-30 अन्तर्गत न्यू बंगाली टोला से मिथलेश कुमार सिन्हा के मकान से पंचवटी मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	20,26,966.00

अ०स०स०सं०-17 :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-31 अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- वार्ड संख्या-31 अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जल-जमाव से निजात पाने हेतु नाले एवं पथ के निर्माण कार्य हेतु वार्डवार पार्षद, वार्ड संख्या-31 द्वारा कुल 02 योजनाओं की अनुशंसा की गई है, जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(रू०)
1	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-31 अन्तर्गत पोस्टल पार्क रोड नं०-03 में उमरी देवी स्थान से अर्जुन प्रसाद के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	5,92,842.00
2	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-31 अन्तर्गत सुरेन्द्र जी के मकान से पोस्टल पार्क आजाद मेमोरियल स्कूल के सामने तक भूगर्भ नाला एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	5,19,977.00

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वार्ड संख्या-30 में भूगर्भ नाला एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण का प्रस्ताव है, उसे पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0- 140:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-31 अन्तर्गत 02 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी सूची निम्नवत् है :-

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(रू0)
1	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-31 अन्तर्गत पोस्टल पार्क रोड नं0-03 में उत्तरी टैंकी स्थान से अर्जुन प्रसाद के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य।	5,92,842.00
2	पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-31 अन्तर्गत सुरेन्द्र जी के मकान से पोस्टल पार्क आजाद मेमोरियल स्कूल के सामने तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण कार्य।	5,39,977.00

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक-26.06.2023 को हुई सशक्त स्थायी समिति की चतुर्थ साधारण बैठक की अतिरिक्त मद संख्या 16, प्रस्ताव संख्या-62 जो वार्ड संख्या-03 अन्तर्गत प्रगति पुरम कॉलनी में मुन्ना यादव के मकान से लेकर राम सुरत बाबू के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य के पटलीत प्रशासनिक स्वीकृति में प्राक्कलित राशि 9,17,500/-(नौ लाख सतरह हजार पाँच सौ) रू0 मात्र है, जो भूलवश राशि अंकित नहीं हो पाया है। अतः प्राक्कलित राशि अंकित करते हुए संशोधित आदेश निर्गत करने की कार्रवाई की जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसका संशोधित आदेश निर्गत करने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका संशोधित आदेश निर्गत करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा सकती है।

प्रस्ताव संख्या-141 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-03 के अन्तर्गत प्रगति पुरम कॉलनी में मुन्ना यादव के मकान से लेकर राम सुरत बाबू के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 9,17,500/-(नौ लाख सतरह हजार

महापौर
पटना नगर निगम

पाँच सौ) रू0 मात्र है, कि घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ0स0सं0-18 :- पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा समर्पित मांग पत्र पर विचार-विमर्श के संबंध में।

अध्यक्ष :- समन्वय समिति द्वारा समर्पित मांग पत्र पर विचार-विमर्श का विषय है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा दिनांक-21.09.23 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दी गई है। उनकी 35 सूत्री मांगों में मुख्य मांग दैनिक कर्मियों का स्थायीकरण करना है। जिस पर निर्णय हेतु सशक्त स्थायी समिति हेतु रखा गया है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- नगर आयुक्त महोदय, कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक वार्ता कर निराकरण कराने का प्रयास करें।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, मँहगाई को देखते हुए कर्मचारियों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि प्रतिदिन की दर में 40 रू0 की बढ़ोत्तरी की जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-70 में 03, वार्ड संख्या-26 में 01 एवं वार्ड संख्या-67 में 02 विकास से संबंधित योजनाएँ है, जो अतिआवश्यक एवं निष्पादित भी है, जिसकी स्वीकृति दी जा सकती है, जो निम्नवत् है :-

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि(रू0)	तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राशि (रू0)
1.	Construction of P.C.C. Road and R.C.C. Drain from Brijnandan Mahto to house of Naresh Mahto along with connecting lanes at East Nandgola Tikiya toil in ward no. 70 under patna city Division, PMC, patna	61,17,800.00	61,17,800.00
2.	Construction of P.C.C. Road and R.C.C. Drain from house of Raushan Kumar to house of	22,59,100.00	22,59,100.00

महापौर
पटना नगर निगम

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि(रू०)	तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राशि (रू०)
	Late Kanhai Mahto at Nandgola in Ward no 70 Under Patna city Division,P.M.C Patna.		
3.	Construction Of P.C.C. Road From Ashok Rajpath Dr. Vijaykant Sharma to Naga Baba Mandir House of Kundan Yadav in ward no. 70 under Patna city Division, PMC, Patna.	14,50,877.00	14,50,877.00

वार्ड संख्या-26

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि(रू०)	अभ्युक्ति
	Construction of Under ground drain and PCC road in Chhakan Tola From Kisun ji House To Mahendra ji Shop in Ward-26	17,39,800.00	

वार्ड संख्या-67

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि(रू०)	तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राशि (रू०)
1.	Construction of P.C.C Road and R.C.C Drain in Thakur Gali from Ramkrit je to Mahendra ji in ward no. 67 under patan city Division PMC, Patna.	10,43,839.00	10,43,839.00
2.	Construction of P.C.C. Road and R.C.C. Drain From Vijay Chaiwala To Rajkumar Halwai House Via Suresh ji, Deepa ji & Gautam ji House in ward no. 67 under patan city Division PMC, Patna.	92,09,636.00	92,09,636.00

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, विकास से संबंधित योजना है इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं०- 142:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-26, 70 एवं 67 में पी०सी०सी० सड़क एवं आर०सी०सी० भूगर्भ नाला निर्माण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, इन योजनाओं का क्रियान्वयन 15वें वित्त (प्रदूषण मद) की राशि से की जायेगी। जिसकी सूची निम्नवत् है :-

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि(रू०)	तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राशि (रू०)
	Construction of P.C.C. Road and R.C.C. Drain from Brijnandan Mahto to house of Naresh	61,17,800.00	61,17,800.00

महापौर
पटना नगर निगम

	Mahto along with connecting lanes at East Nandgola Tikiya toil in ward no. 70 under patna city Division, PMC, patna.		
2.	Construction of P.C.C. Road and R.C.C. Drain from house of Raushan Kumar to house of Late Kanhai Mahto at Nandgola in Ward no 70 Under Patna city Division,P.M.C. Patna.	22,59,100.00	22,59,100.00
3.	Construction Of P.C.C. Road From Ashok Rajpath Dr. Vijaykant Sharma to Naga Baba Mandir House of Kundan Yadav in ward no. 70 under Patna city Division, PMC, Patna.	14,50,877.00	14,50,877.00

वार्ड संख्या-26

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अभ्युक्ति
	Construction of Under ground drain and PCC road in Chhakan Tola From Kisun ji House To Mahendra ji Shop in Ward-26	17,39,800.00	17,39,800.00

वार्ड संख्या-67

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (रू०)	तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राशि (रू०)
1.	Construction of P.C.C. Road and R.C.C. Drain in Thakur Gali from Ramkrit je to Mahendra ji in ward no. 67 under patan city Division PMC, Patna.	10,43,839.00	10,43,839.00
2.	Construction of P.C.C. Road and R.C.C. Drain From Vijay Chaiwala To Rajkumar Halwai House Via Suresh ji, Deepu ji & Gautam ji House in ward no. 67 under patan city Division PMC, Patna.	92,09,636.00	92,09,636.00

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री श्याम कुमार, सेवा निवृत्त चालक, जो संविदा पर चालक के रूप में अपर नगर आयुक्त महोदय के साथ कार्यरत है। जिनकी सेवा अवधि दिनांक-12.07.2023 को समाप्त हो रही है। कार्य को देखते हुए इनकी सेवा दिनांक-13.07.2023 से 12.07.2024 तक सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के प्रत्याशा में ज्ञापांक 8252, दिनांक 06.07.2023 के द्वारा विस्तारित की गयी है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है, जिसकी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इनका सेवा विस्तार किया जा सकता है।

प्रस्ताव सं0- 143:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री श्याम कुमार, सेवा निवृत चालक को दिनांक-13.07.2023 से 12.07.2024 तक संविदा चालक के रूप में सेवा अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की जाती है।**

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, चंद्रयान-03 के सफल परीक्षण पर पटना नगर निगम की ओर से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। माननीया अध्यक्ष महोदया, आपकी सहमति से मैं प्रस्ताव रखना चाहूँगा।

पूरा देश चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न मना रहा है। नगर निगम के सदस्य भी इस खुशी में शामिल हैं। हम वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करते हैं यह सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी की ही सफलता नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का भी प्रतीक है। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि अब **23 अगस्त** को **'नेशनल स्पेस डे'** के तौर पर मनाया जाएगा।

हम ISRO के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई देते हैं। हमारे वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयासों की वजह से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरने वाला दुनिया पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर उतरना, वो भी पूर्व निर्धारित पैरामीटर्स पर पूरी तरह खरा उतरते हुए, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रज्ञान रोवर के द्वारा हमें जो जानकारियों का खजाना मिल रहा है, उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, नई खोज का मार्ग खुलेगा और चंद्रमा के रहस्यों को समझने और उसके भी पार जाने में मदद मिलेगी।

भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें गर्व है कि चंद्रयान-3 की सफलता में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह सफलता आने वाले वर्षों में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करती रहेगी।

पिछले 22 वर्षों के दौरान, श्री नरेन्द्र मोदी जी का पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर स्पेस मिशन से भावनात्मक लगाव रहा है। 2008 में जब चंद्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण हुआ तो उन्होंने इसरो जाकर वहाँ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। 2019 में जब चंद्रयान-2 मिशन अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुँच पाया, तो प्रधानमंत्री जी की ओर से वैज्ञानिकों को दिए गए भावनात्मक

महापौर
पटना नगर निगम

संबल ने हमारे वैज्ञानिकों के हौसले को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा ने हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रयान मिशन के लिए नई ऊर्जा दी।

मा० प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक बार फिर **वसुधैव कुटुम्बकम** की भावना को सिद्ध किया है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद मिली जानकारियाँ, पूरी मानव जाति के लिए बेहद लाभकारी होगी। भारत में हो रहा विकास, पूरी दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदया, ये राष्ट्र के लिए गौरव की बात है।

श्री मनोज कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कांति देवी :- माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 144 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मिशन चंद्रयान-3 की सफलता पर 23 अगस्त को 'नेशनल स्पेस डे' मनाये जाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के संचिका-10/विविध-06-10/2023 पत्रांक सं0-4322/न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक-24.08.2023 के आदेश को अंगीकार करने संबंधी निर्णय लेना भी आज की बैठक में आवश्यक है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा रू0 15.00 लाख (पन्द्रह लाख रूपये) तक से कम लागत की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय रूप से कराये जाने संबंधी आदेश निर्गत किए गये हैं। मैं माननीय महापौर महोदया की अनुमति से अवलोकन पत्र का सदन को अवगत करा रहा हूँ।

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के नगर निकायों में संचालित राज्य योजनाएँ, वित्त आयोग की राशि से ली जाने वाली योजनाएँ, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय की योजनाएँ, पर्व त्योहारों अथवा आकस्मिक आपदा के समय योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु निविदा के माध्यम से कार्य कराने में अधिक समय

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू- महापौर
पटना नगर निगम

लगने के कारण नगर निकायों के अनुरोध पर विभागीय रूप से कार्य कराने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत 7.50 लाख रूपये तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय अथवा निविदा के माध्यम से कराये जाने का निदेश दिया गया था।

2 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-5255, दिनांक-23.06.2014 बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम-159 'क' की उप कंडिका-(III) में विभागीय रूप से कराये जाने वाले योजनाओं के लागत को रू0 7.50 लाख से बढ़ाकर रू0 15.00 लाख कर दिया गया है।

3 योजना एवं विकास विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-5436, दिनांक-24.11.2014 के द्वारा रू0 15.00 लाख मात्र से कम लागत की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय रूप से कराने का निर्णय लिया गया है।

4 नगर निकायों द्वारा भी महँगाई दर में वृद्धि के कारण उपरोक्त विभागों द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में रू0 15.00 लाख मात्र तक के लागत वाली योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय रूप से कराने की माँग की जा रही है।

5 उपरोक्त के आलोक में सम्यक, विचारोपरांत निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(i) प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार के तकनीकी अनुमोदन/स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त ही योजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा।

(ii) प्राक्कलन नगर निकायों के स्तर से कार्यान्वित की जाने वाली सभी योजनाएँ, जिनकी लागत रू0 15.00 लाख (पन्द्रह लाख रूपये) मात्र या उससे अधिक की हो, का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से ही कराया जायेगा।

(iii) नगर निकायों के स्तर से कार्यान्वित की जाने वाली वैसी सभी योजनाएँ, जिनकी लागत रू0 15.00 लाख (पन्द्रह लाख रूपये) मात्र से कम की हो, के कार्यान्वयन की विधि के संबंध में निर्णय, नगर निकायों द्वारा स्वयं लिया जायेगा।

(iv) नगर निकायों के कर्मी, योजना के अभिकर्त्ता हो सकते हैं, जिन्हें योजना के कार्यान्वयन के पूर्व एकरारनामा कराते हुए कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

(v) कार्यकारी एजेंसी (नगर निकाय) द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यरत मजदूरों के मेठ से अनिवार्य रूप 'शपथ पत्र' लिया जायेगा (शपथ पत्र का प्रपत्र संलग्न) ताकि योजना की गुणवत्ता बनाये रखने एवं सम्पन्न कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने की स्थिति में उसके निराकरण एवं दोषियों को चिन्हित करते हुए दायित्व का निर्धारण किया जा सके।

महापौर
पटना नगर निगम

निदेशानुसार, उक्त के आलोक में योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय। योजनाओं के विभागीय रूप से कार्यान्वयन हेतु पूर्व से निर्गत अनुदेश अवक्रमित किए जाते हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अध्यक्ष महोदय, आदेश के अवलोकन से क्रम संख्या 5(ii) पर स्पष्ट है कि नगर निकायों के स्तर से कार्यान्वित की जाने वाली वैसी सभी योजनाएं, जिनकी लागत रु0 15.00 लाख (पन्द्रह लाख रूपये) मात्र से कम की हो के कार्यान्वयन की विधा के संबंध में निर्णय, नगर निकायों द्वारा स्वयं लिया जाएगा।

अतः मेरा सुझाव है कि 15 लाख रूपये से कम की सभी योजनाओं को विभागीय एवं स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा निविदा के माध्यम से कराये जाने का विकल्प खुला रखना चाहिए।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ। सरकार का आदेश निगमहित में स्वागतीय है। 15 लाख से कम की योजनाओं को विभागीय एवं स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जाना श्रेयस्कर होगा। सरकार के आदेश को अंगीकार किया जाए।

उप-महापौर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ। सरकार के आदेश को अंगीकार करते हुए 15 लाख से कम की सभी योजनाओं को विभागीय एवं स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जाना श्रेयस्कर होगा। इससे योजनाओं को त्वरित रूप से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराया जा सकता है।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के आदेश को अंगीकार किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 149 :- सर्वसम्मति से बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के संचिका0 10/विविध-06-10/2023, पत्रांक-4322/ न0वि0 एवं आ0वि0, दिनांक- 24/08/2023 के द्वारा नगर निकायों के द्वारा रु0 15.00 (पन्द्रह लाख रूपये) मात्र से कम लागत की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय रूप से कराये जाने के संबंध में उक्त पत्रांक के कंडिका 5(ii) के अनुसार पन्द्रह लाख रूपये मात्र से कम लागत की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन

महापौर
पटना नगर निगम

को विधा के संबंध में सशक्त स्थायी समिति यह निर्णय लेती है कि

पन्द्रह लाख रूपये तक के कार्य की योजनाओं का कार्यान्वयन ''विभागीय रूप'' से एवं ''स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार द्वारा निविदा'' के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

अध्यक्ष :- बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए समाप्ति की घोषणा की जाती है।

12/10/2023

(महापौर)
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम, पटना।

प्रतिलिपि :- माननीया महापौर/ माननीय उप-महापौर/ माननीय सदस्य, सशक्त स्थायी समिति/ नगर आयुक्त/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर सचिव,
पटना नगर निगम,पटना।

18/10/23

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION